

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 761 बैठक दिनांक 30/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए. के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No P2/11/2024 Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., Hotel Samdariya Inn, Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur(M.P.). 482001. Prior Environment Clearance for proposed Shopping Mall in an area of 0.861 ha. (Total Land Area-8126.800 Sq.M., Total Built-up Area-42593.85 Sq.M.) (Khasra No. 141/2, 142), Village-Sohagpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [455244]**

This case has already scheduled and minutised in the 758th meeting on dated 27/05/24.

2. **Case No 6702/2019 Mr. RAJEEV BOHRE, M/s M/s Sudama Construction Pvt. Ltd, Director, Line No. 12, Birla Nagar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (23,520 cum per annum) (Khasra No. - 147/1), Village - Rafatpur, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior, (MP). (EIA) (MIN/455988/2023). (Referred Back Case)**

प्रकरण समिति की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान श्री सरदार सिंह गुर्जर एवं श्री नवल किशोर को स्वीकृत खदान के ऊपर ओवरलेप होना परिलक्षित है तथा परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन फार्म में भी परियोजना प्रस्तावक कम्पनी के संचालक का नाम राजीव बोहरे अंकित है जबकि संलग्न दस्तावेजों में राजीव शर्मा अंकित है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रहित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Mr. RAJEEV BOHRE, Online M/s Sudma Construction Pvt. Ltd, Director एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त संबंध में निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई।

- खनिज अधिकारी के पत्र दिनांक 15/05/2024 से प्रमाणित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट पर आधारित के.एम.एल. प्रस्तुत की गई।
- मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित भाग-3 (1) विज्ञापन अन्य सूचना में नाम परिवर्तन में श्री राजीव शर्मा से श्री राजीव बोहरे की अधिसूचना जारी हुई है, की अधिसूचना प्रस्तुत की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि आबादी की ओर सघन वृक्षारोपण किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) – 23,520 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 15.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.44 लाख प्रति वर्ष।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु. में
शासकीय स्कूल, रफतपुर में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर व शेष राशि स्कूल के शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	रु 1,00,000/-
ग्राम रफतपुर के किसान वाशियों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण	रु 40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	क्लस्टर की सीमा पर	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	420
2	परिवहन मार्ग (310 मीटर) पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	नीम, पीपल, करंज, कदम्ब, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
3	रफतपुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, रुद्राक्ष , सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	560
4	रफतपुर गाव के प्राइमरी स्कूल में वितरण हेतु।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री,	20

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		गुलमोहर इत्यादि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No. P2/22/2024 Shri VIKAS JAIN Lessee R/o- Berchha Road Shajapur, Tehsil & District- Shajapur, M.P Prior Environment Clearance for Kanja Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (Stone-4000, M-Sand-5000, OB-10,560 cum per year) (Khasra No. 1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 & 1080), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) . Referred Back

प्रस्तावित पत्थर खदान समिति की पूर्व बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया के पत्र क्रमांक 156 दिनांक 15/05/24 के द्वारा परियोजना प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 10823 श्री गजेन्द्र सिकरवार रकबा 4.0 हे. की स्वीकृत है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.70 हे. होता है, जिस कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी का प्रतीत होता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर द्वारा अपने एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 13/12/2023 में एक अन्य खदान 3.0 हे. की स्वीकृत होना बताया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 30/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें जिमसें परियोजना प्रस्तावक Shri VIKAS JAIN, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 835/खनिज/2024 दिनांक 30/05/24 के अनुसार, तहसीलदार शाजापुर एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन में उक्त खदान के सर्वे नंबर के सम्बन्ध में पटवारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिसमें पटवारी द्वारा जरीब से पट्टेधारी गजेन्द्र सिकरवार की खदान के खसरे की दुरी भौगोलिक स्थिति के आधार पर मापी गयी एवं साथ ही साथ सभी बीच के खसरो का मिलान करते हुए ट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसमें की गजेन्द्र सिकरवार की खदान दुरी 510 मीटर पायी गयी ।

अतः कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा शाजापुर पत्र क्रमांक के अनुसार उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि में केवल एक ही खदान सर्वे क्रमांक 880/1 रकबा 3.0 हेक्टेयर पट्टेधारी श्री राकेश सोलिया के नाम पर स्वीकृत है । खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 836 दिनांक 28/05/2024 है कि प्रस्तावित खनन के 500 मीटर परिधि के अन्तर्गत एक खदान 3.0 हेक्टेयर की स्वीकृति है । इस प्रकार कुल रकबा 4.70 हेक्टेयर होता है ।

प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर पूर्व में अनुशंसित शर्तों को यथावत रखते हुए प्रकरण की B2 केटेगरी के अन्तर्गत पुनः अनुशंसा की जाती है।

4. Case No P2/65/2024 Shri Kesharimal Kumawat, R/o Ward No. 17, Chhachhakhedi, Tehsil-Jiran, District- Neemuch (M.P). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone - 1000 MTPA) (Khasra No. 2095), ग्राम कनघट्टी तसहील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ,म.प्र.) (MIN/456380/2023) - B-2

प्रस्तावित Stone खदान का समिति की पूर्व 731वीं बैठक दिनांक 19/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है ।

सिया के पत्र क्रमांक 672 दिनांक 15/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें भी परिलक्षित है, जिससे उक्त प्रकरण 5 हे. से अधिक का प्रतीत होता है एवं सेक द्वारा प्रकरण में उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुशंसित की गई है जबकि ऑनलाईन फार्म व अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्पादन क्षमता 1000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष अंकित है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जावे ।

प्रकरण आज दिनांक 30/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kesharimal Kumawat online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मेसर्स

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

ए.जी.एस. इन्वायरोमेन्टल सर्विसेस प्राइवेट लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने चर्चानुसार निर्णय लिया कि समिति की पूर्व 731वीं बैठक दिनांक 19/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित क्षमता 1000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर 1000 मै.टन/वर्ष पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसायें/शर्तें यथावत रहेंगी ।

5. Case No P-2/82/2024 Shri RAVI SHIVHARE, LEESSEE, Ward no 06, barigarh chhatarpur (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 1222/2 (Govt) [1222/1, 1239/2/KHA, 1239/4/2, 1240/3, 1251) Village - Mudahara, Tehsil- Gaurihar, District- Chhatarpur (M.P.) (MIN/457735/2024) (B2).

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की बैठक क्रमांक 845 दिनांक 24/04/24 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क एवं लीज क्षेत्र के चारों ओर कृषि भूमि परिलक्षित है । माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी एवं सेक की अनुशंसा अनुसार भूमि से 25 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जावे ।

प्रकरण आज दिनांक 30/05/24 के समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri RAVI SHIVHARE, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि सिया के द्वारा लिखित है कि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है। चूकिं लीज क्षेत्र दो भागों में बटा है जिसमें एक भाग से पक्की सड़क की दूरी 40 मीटर है सेक के समक्ष प्रस्तुतीकरण में रोड से दूरी 40 मीटर होने से उस भाग को गैर खनन क्षेत्र दिखाते हुये संशोधित सरफेस मैप प्रस्तुतिकरण में ही प्रस्तुत

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

कर दिया गया था दूसरे भाग से रोड़ की दूरी 193 मीटर होकर बैरियर जोन को मिलाकर 200 मीटर होकर मापदण्ड पूर्ण करती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र 2 पार्ट में शासकीय/निजी भूमि/सहमति पर है । खसरा वार विवरण दिया गया है श्री रवि शिवहरे के नाम पर खसरा नम्बर 1251, 1239/2/ख है जिसका कुछ भाग खनन क्षेत्र में है और कुछ भाग खनन क्षेत्र से बाहर है जिसमें कुछ फसल दिख रही है, चूँकि उक्त खसरे के खनन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र समीपस्थ दिख रहे हैं तथा एक ही स्वरूप के हैं, अतः ऐसी स्थिति में हानि और लाभ के लिए स्वतः परियोजना प्रस्तावक स्वयं ही जिम्मेदार हैं । अतः ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा में 25 मीटर छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है ।

Khasra no.	Area	Type of land	Owner
1221	0.38	Private	Laxman Khangar
1222/1	0.7210	Private	Laxman Khangar
1222/2	0.3240	Govt. Land	Govt. Land
1239/2/kha	0.2430	Private	Ravi Kumar Shivahre
1239/4/2	0.1130	Private	Keerat Singh
1240/3	0.1720	Private	Keerat Singh
1251	0.1940	Private	Ravi Kumar Shivahre

खसरा नम्बर 1239/4/2, 1240/2 श्री कीरत सिंह के नाम पर है व खसरा नम्बर 1222 शासकीय भूमि है जो की पथरीला क्षेत्र है । अतः उसकी समीपस्थ क्षेत्र में कृषि पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है । खसरा नम्बर 1221, 1222/1 श्री लक्ष्मण खंगार का है जिसमें खनन क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ स्थित क्षेत्र दोनों का स्वरूप एक ही प्रकार का है तथा उनके द्वारा जमीन से पत्थर निकलने, से कृषि सुधार पर सहमति दी गई है ।

उपरोक्त स्थिति श्री लक्ष्मण खंगार की भूमि को ध्यान में रखते हुये खेत से 25 मीटर की दूरी तक गैर खनन क्षेत्र युक्त-युक्त नहीं पाया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के चारों ओर लगे कृषि क्षेत्र हेतु एम.एस. सीट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये निम्नानुसार संशोधित ईएमपी में भी राशि का प्रावधान किया गया है । अतः समिति द्वारा खेत से 25 मीटर प्रतिबंधित किये जाने का प्रस्ताव समाप्त किया जाता है ।

Sr.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A.	FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 2000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	25,800
2	Garland Drain is proposed(705m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 705	3,52,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1100 x Rs.200	2,70,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 200m x 5m) @500/sqm	1,00,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	20,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 4 trucks @1000/truck	-	4,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainence (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	10,000
18	Construction of wind breaking wall of MS Sheet around the mineable lease area	1,50,000	10,000
19	For reduction of carbon emission – LED bulb distribution	30,000	Nil
	Total	15,52,500	2,93,800

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व समिति की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को उपरोक्त शर्तों के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है।

- 6. Case No P-2/93/2024 Mr. KRISHNA PAL SARAN, Director, 151, SARAN SADAN, 1ST ROAD, SUBHASH NAGAR, PAL ROAD JODHPUR (RAJ). SARAN CONSTRUCTION COMPANY, Prior Environment Clearance for Kadiyakhichi Crusher Stone Quarry (Temporary permit) of 1.195 Hectare Area, Khasra No. - 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 85/1, 86/2, 87 in Village – Kadiyakhichi, Tehsil – Khujner, District- Rajgarh, (M.P.) (Stone – 85,048 Cubic Meter).[460891] (MIN/460891/2024) (B2). (Temporrary Permit).**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की बैठक क्रमांक 845 दिनांक 24/04/24 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 160 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क एवं लीज क्षेत्र के चारों ओर कृषि भूमि परिलक्षित है । माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी एवं सेक की अनुशंसा अनुसार भूमि से 25 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जावे ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

प्रकरण आज दिनांक 30/05/24 के समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक **Mr. KRISHNA PAL SARAN**, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

सिया के द्वारा लिखित है कि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 160मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है। जबकि सेक के समक्ष प्रस्तुतीकरण में रोड से दूरी 165 मीटर होकर 35 मीटर का अतिरिक्त सेट बैक करते हुए संशोधित सरफेस मैप प्रस्तुतिकरण में ही प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें कुल गैर खनन क्षेत्र 0.40 हेक्टेयर एवं कुल उपलब्ध खनन क्षेत्र 0.795 हे० उल्लेखित था।

Khasra no.	Area	Type of land	Owner
80/1	0.2400	Private	Rajendra Singh Rajpoot
80/2	0.1260	Private	Rajendra Singh Rajpoot
81/1	0.2910	Private	Rajendra Singh Rajpoot
81/2	0.2280	Private	Rajendra Singh Rajpoot
85/1	0.2090	Private	Shivlal Parvat Narayan
86/2	0.2400	Private	Narayan Singh
87	0.2660	Private	Rajendra Singh Rajpoot

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र निजी भूमि/सहमति पर है । खसरा वार विवरण दिया गया है श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत के नाम पर खसरा नम्बर 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 87 है ।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये खेत से 25 मीटर की दूरी तक गैर खनन क्षेत्र युक्त नहीं पाया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के चारों ओर लगे कृषि क्षेत्र हेतु एम.एस. सीट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये ईएमपी में भी राशि का प्रावधान किया गया है । अतः समिति द्वारा खेत से 25 मीटर प्रतिबंधित किये जाने का प्रस्ताव समाप्त किया जाता है ।

Sr.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	Cost of water of Plantation 2500ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	32,250
2	Garland Drain is proposed (498m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 498	2,49,000	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1000x Rs.200	2,70,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (400 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 300m x 5m) @500/sqm	1,50,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/25 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 25workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 25worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs.	10,000	2000

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

	2000/year maintainenece.		
14	Half yearly PUC certification for 15 trucks @1000/truck	-	15000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 25workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	12,500
18	Cost for Carbon sequestration & LED bulb distribution	1,00,000	10,000
19	Construction of wind breaking wall of MS Sheet around the lease area	2,50,000	20,000
	Total	16,06,500	3,38,750

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व समिति की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को उपरोक्त शर्तों के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है।

7. Case No P2/308/2024 Dobi Irrigation Scheme 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. The project will provide irrigation facility in 19,468 Ha in 51 villages with both open canal and micro irrigation. [RIV/460370/2024] (TOR) Cat. 1(c) River Valley Project.

Earlier in this case EC was Recommended in 732nd SEAC Meeting Dated 20/03/2024.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) की बैठक क्र०. 845 वीं बैठक दिनांक 24/04/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

“ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 732वीं बैठक दिनांक 20/04/2024 की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि परियोजना में पूर्व में 8544 ha. CCA हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 19468 ha. CCA हेतु आवेदन किया है

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अतः प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अनुसार एक्सपॉन्शन का है परियोजना को एक्सपेंशन के दृष्टिगत परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु SEAC प्रेषित किया जाये ”

उपरोक्तानुसार प्रकरण को उपरोक्त आधार पर पुनः विचार कर अनुशंसित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि

- PP submitted that earlier for the Dobi Irrigation Project EC vide Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 Category B 1(c) River Valley projects Project , was granted on 27/10/2023 by MP SEIAA under Category B2 Project as its CCA was less than 10,000 Ha.
- Now, the State Government has revised the administrative approval to increase the command area of project to 19,468 Ha. Hence, the project now falls under B1 Category. Therefore, as per provisions of EIA Notification 2006 and its subsequent amendments Scoping Clearance (ToR) and Public Hearing is needed. We are applying for ToR as the project is now falling under B-1 Category.

चूँकि परियोजना में पूर्व में 8544 ha. CCA हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 19468 ha. CCA हेतु आवेदन किया है अतः प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अनुसार एक्सपॉन्शन का है। अतः परियोजना प्रस्तावक के लिये 19468 ha. CCA अनुसार टॉर एक्सपॉन्शन के लिये अनुशंसित किया जाता है एवं सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/2024 में अनुशंसित किये गये टॉर की शर्तें यथावत रहेगी।

8. Case No 9381/22 3 M/s Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla, MP - 481661, Prior Environment Clearance for 49000 Tonne Per Annum capacity of Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP) [400497] EIA

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed 49,000 TPA of M.S.Billets & TMT Bars Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process at Khasra No.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

124 Part, 125 Part, 129 Part, 130 Part, Village- Mendhi, Tehsil –Niwas, District: - Mandla State - Madhya Pradesh, Category: 3(a).

PP submitted following points on Parivesh Portal:

1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/443738/2023
2.	Proposal /Activity Name	Shri Bharat Khandelwal, Director, SHRI SHAKAMBARI FERROUS PRIVATE LIMITED, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 132, 134, 141, 235/141, Village- Mendhi, Tehsil & District- Mandla, State- M.P.,. Prior Environment Clearance for Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd.” Project at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 132, 134, 141 & 235/141, Area – 1.99 Ha and Billets and TMT Bar : 49, 000 TPA, Village- Mendhi, Tehsil & District: - Mandla, State- M.P. Cat. - 3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous). SIA/MP/IND1/443738/2023.
3.	Proposal	New.
4.	ToR details	MPSEIAA Case No. 9381/2022. EC issued vide letter No. 2537 dated 13/01/2023.
5.	Description of Project	Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd.” Project at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 132, 134, 141 & 235/141, Area – 1.99 Ha Billets and TMT Bar : 49, 000 TPA, Village- Mendhi, Tehsil & District: - Mandla, State- M.P.
6.	Project Cost	4972 Lakhs.
Documentary Details		
7	Water NoC	Gram Panchayat Mendhi issued vide letter No. Nil dated 02/03/2022.
8	Forest NoC	letter No. 1621 dated 10/08/2022.
9	Tehsildar NOC	letter No. 33 dated 20/04/2022.(Human Sattlement - 500 mt. radius).
1	Public Hearing date	28/04/2023.
1	Env. Con.	M/s
1	PFR	Submitted by PP.
1	Google image status	Coordinates Pg –

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 612th meeting dated 15.12.2022 wherein ToR was recommended.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

The case was presented by the PP Shri Bharat Khandelwal and their Env. Consultant Shri Ashok Rathore Environmental Coordinator from M/s Rian Enviro Pvt. Ltd .

Wherein PP submitted that Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd. Project is located at Applied Area-1.99 Ha (Khasra No. 124 Part, 125 Part, 129 Part, 130 Part, Total Area-6.18 Ha) (i.e. Open & Landscaping Area- 0.597 Ha, Road & open Area – 0.199 Ha, Plant & Machinery + Admin office Store Yard-1.1035 Ha Remaining 0.0995 Ha Staff Quarter & Parking Area) Village- Mendhi, Tehsil – Niwas, District: - Mandla, M.P.

- Proposed Capacity 49,000 TPA of Billets and TMT Bar
- The proposed establishment of rolling mill unit is covered under the Schedule 3(a) “Industries” of Environmental Impact Assessment (EIA) Notification 2006 & its further amendments. Cat B.
- One Induction melting system has two steel shells and each one is operated with same electrical line. During operation of one of the shell, the other is fed with scrap in order to decrease process time.
- Selective scrap should be used for obtaining the desired quality due to being of close type technology. Induction furnaces are driven by transformer.
- Melted scrap is tilted from hydraulically operated induction furnaces into liquid steel ladle with 35-ton capacity. Each ladle is equipped with sliding gate mechanism installed on bottom of each ladle.
- Then liquid steel is transferred to ladle furnace to adjust the final analysis and temperature which is suitable for billet / bloom casting application. Also liquid steel is stirred with an inert gas such as Nitrogen or Argon. After reaching the desired analysis and temperature.
- The Melt Shop also includes one (2) strands continuous casting machine able to cast square billets from 100 to 165 mm. After treatment of ladle in ladle furnace unit it is taken onto the casting platform by a casting crane.
- In Caster the sliding gate is opened and liquid steel starts to flow into 2 strand tundish located on tundish transfer car through the tundish nozzles into caster moulds where liquid steel starts to solidify by re-circulating water. The steel billet is completely solidified by water jets through the Strand. After the straightening and withdrawal mechanism produced billets are cut into desired length. A flat type cooling bed is used to cool down the hot billets.
- At the end of cooling bed, cooled down billets can be transferred by forklifts and / or crane to make stacking. There also exists one crane in the casting bay for maintenance. This crane is in the intermediate bay for service.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- A Laboratory, equipped with a sample preparation equipment spectrometer analyzer is incorporated to check the conformity of products with the chemical and quality standards required.
- Water, supplied is treated in the water treatment facilities and used as the makeup water. The industrial cooling water is cleaned, cooled and re-used in the water facilities. A de-dusting plant, equipped with high temperature filters is provided to keep the dust content of furnace exit gases.
- The furnace will consist of sturdy steel structure fabricated from rolled steel sections and plates. The furnace will be provided with a tilting stand grouted to the foundation.
- Mounted on the tilting stand will be two spherical bearings.
- Crucible structure or furnace frame will be pivoted on these bearings.
- The furnace frame will consist of columns with dished bottom. The platform will be integral with the crucible structure.
- One number of 10000 kW, 180-330 Hz, 24 Pulse, Model: Quick-Melt-DTi® Solid State Power Supply Unit with two numbers of 20000 Kg ET-Steel Frame Melting Furnaces together with Electrical & Cooling Systems and Other Plant Machinery.
- Plantation of trees will be done along road side and nearby areas such as in school, in social forestry in villages or on the barren space to arrest auto-exhaust and noise pollution, and in such a way that there is no direct line of sight to the mine when viewed from a point outside the foliage perimeter.
- **Approx 1500 Number of trees to be planted as per Probes 75 of 2000 (CPCB).**

The details submitted by PP and their Env. Consultant which were found satisfactory and acceptable and other details of the projects which were found satisfactory and acceptable hence the case was recommended for **Grant of prior EC for 49,000 TPAM.S.Billets& TMT Bars Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process at Khasra No. 124 Part, 125 Part, 129 Part, 130 Part, Village-Mendhi, Tehsil –Niwas, District: - Mandla(MP). Category: 3(a)** Metallurgical Industries (Ferrous & Non-Ferrous) with subject to the following subject to the following Project specific& general conditions:

A. Statutory compliance:

- I. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
- II. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water/from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
 - III. The project proponent shall obtain consent/authorization from MP Pollution Control Board.

B. Air quality monitoring and preservation

- I. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277 (E) dated 31" March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; S.O. 3305 (E) dated 7th December 2015(Thermal Power Plants) as amended from time to time) and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- II. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories
- III. The project proponent shall install one system to carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission and S02 and NOx in reference to S02 and NOx emissions). Similarly, within and outside the plant area manual monitoring at least at three locations one within and two outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions shall be monitored.
- IV. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring to Regional Office of

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six monthly monitoring report.

- V. Appropriate Air Pollution Control (APC) system such as Bag filters (reverse pulse jet cleaning) shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources with secondary fume extraction system.
- VI. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags.
- VII. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners and mechanical dust sweeping machines shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly. All the internal roads shall be made pucca.
- VIII. Recycle and reuse iron ore fines, coal and coke fines, lime fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process after briquetting/ agglomeration.
- IX. The project proponent shall use leak proof trucks/dumpers carrying coal and other raw materials and cover them with tarpaulin.
- X. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, lump ore, etc.
- XI. The project proponent shall provide primary and secondary fume extraction system at all melting furnaces.
- XII. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, oil, cellars.

C. Water quality monitoring and preservation

- I. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers/sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- II. The project proponent shall submit monthly summary report of ground water quality to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.
- III. Adhere to "Zero Liquid Discharge."

- IV. Sewage Treatment Plant (15 KLD) shall be provided for treatment of domestic wastewater to meet the prescribed standards.
- V. The treated water from STP shall be used for gardening and spraying of roads.
- VI. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent, rain water therefore can be conserved within the plant.

D. Noise monitoring and prevention

- I. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- II. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

E. Energy Conservation measures

- I. The project proponent shall provide waste heat recovery system (pre-heating of combustion air) at the flue gases of reheating furnaces.
- II. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as far as possible.
- III. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnaces.
- IV. Provide solar power generation on rooftops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- V. For this project Electrical Power 10,000 kW/hr. shall be met by Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB) Jabalpur.
- VI. Project Proponent will Provide the LED lights and solar panel roofing and in their offices and residential areas.
- VII. 02 DG Set (300KVA- 02 nos.) are proposed for this project. So, acoustic canopy shall be installed.

F. Waste management

- I. Proposed quantity of Furnace Slag & from Rolling Mill produced during process which shall be managed through installed iron recovery unit from slag and the recovered iron is being used with scrap to charge in induction furnace. The remaining part is being used for civil work & bricks manufacturing after TCLD test and approval from the MP Pollution Control Board.
- II. The waste/spent oil & other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 and as per conditions stipulated by M. P. Pollution Control Board .
- III. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- IV. Oily scum and metallic sludge recovered from rolling mills ETP shall be mixed, dried, and briquetted and reused melting Furnaces.

G. Green Belt

- I. Green belt shall be developed in the 30% area (5970 SQM) (wherein 2000 plants) area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The green belt shall inter alia cover the entire periphery of the plant with minimum three row plantation towards the road and village side. Medicinal plants shall also be grown in the landscape garden. Three rows will be developed through the periphery of the unit and local breed like Kusam, Putijan, Setapani, will be grown along with a Sitaphal among them. Both side of the Approach will also be planted suitable like Ashok.
- II. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

H. Public hearing and Human health issues

- I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- II. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- III. Provision shall be made for the housing of construction labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- IV. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

I. EMP&Corporate Environment Responsibility

- I. In the proposed EMP, Rs. 30.22 Lakh as capital cost for the project and Rs. 1.87 Lakh /year has proposed as recurring expenses.

REVISED ANNUAL EMP COST			
S.No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1.	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 230 m , Width 6.0m) 230m @ 150Rs./Meter	35,000	20,000
2.	Bag Filter under APC	1,00,000	10,000
3.	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	50,000
Labour Welfare			
4.	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (13 x 15 feet)	90,000	4,000
5.	Fire Safety	10,000	5,000
6.	Separate toilets for Male & Female No. of 2	50,000	10,000
7.	Occupational health Survey 74 Labour @ 500 Rs. = 37,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 74	74,000	10,000
8.	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 74 labor	8,88,000	50,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	@ 1200 Rs		
9.	First Aid Kits , Number of kits 5	25,000	5,000
10.	Fire Safety (1 nos.) , @ 15,000	25,000	5,000
11.	Rooftop Solar Paneling	12,00,000	10,000
12.	Solar Light 10 poll	1,00,000	5,000
13.	Carbon Foot Print – 500Tree adaptation	3,00,000	--
14.	Sign boards	25,000	3,000
Total		30,22,000	1,87,000

Apart from this 1000 sapling plants of Kathal, Munga and Achar will be distributed among nearby villagers after 5 years the tree growth will help to mitigate the Carbon Sequestration.

- II. Under CER Programme following activities have been proposed and these activities shall be implemented within time frame as committed by PP -

Activity	Amount
Nimas Primary Health Centre will be given in three installment of 10 lakh each (amount will be utilized by ambulance, X – Ray Machine and Bed and mattress.	30,00,000/-

- III. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- IV. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

- V. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- VI. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- VII. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- VIII. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants shall be implemented.

J. Miscellaneous

- I. For Fire Protection System, fire water pumps of 5 H.P. Capacity shall be provided by PP.
- II. AC motor driven fire water pumps for hydrant, medium velocity water spray system and foam system and Jackey pump 1 no. (AC motor driven) for maintaining pressure shall be provided.
- III. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- V. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- VI. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- VII. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- VIII. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. **Case No P2/805/24 Shri RAGHUVVEER SINGH, Lessee, R/o-Village-Gondalmau, Tehsil- Nalkheda, District-Agar Malwa M.P. Prior Environment Clearance for M-Sand and Gitti in an area of 2.00 ha. (M-Sand – 3000 m3/Year, Gitti - 5000 m3/Year, OB- 2807 m3/Year) (Khasra No. 359/1), Village - Padalya, Tehsil-Nalkheda, District- Agar Malwa (M.P.) [MIN/467386/2024] B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रघुवीर सिंह, आत्मल श्री ईश्वर सिंह ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रघुवीर सिंह, आत्मल श्री ईश्वर सिंह ग्राम गोन्दलमऊ तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 359/1	2.00 Hectare.
स्थल	ग्राम पाडल्या तहसील नलखेड़ा जिला- आगर मालवा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1966-69/खनिज/उ.प./न.क्र. 01/2024 दिनांक 15/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।	
टॉर	लागू नहीं है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-3,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन -2,807 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-3,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन -2,807 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- खनिज/2023/296 दिनांक 26/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- खनिज/2023/296 दिनांक 26/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- खनिज/2023/296 दिनांक 26/03/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत कांजा के अनापत्ति पत्र क्रमांक खदान 20/ दिनांक 14.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण –8 <ul style="list-style-type: none"> ● यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 01 ● काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 10
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण-पूर्व दिशा – उत्खनिपट्टे के दक्षिण-पूर्व में 190 मी पर एक पक्का रोड परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्ताव ने बताया कि पक्के रोड से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा । उत्तर पूर्व दिशा – उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्व दिशा में 180 मी पर एक चेक डेम परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्ताव ने बताया कि चेक डेम से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा । उत्तर दिशा – उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 260 मी पर एक मंदिर परिलक्षित हो रहा है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-3,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन –2,807 घनमीटर/वर्ष है ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित एम् सैंड क्रेशर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट क्रेशर में स्तरी प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.585 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.715 लाख प्रति वर्ष ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And Sedimentation Tank for M-sand 3 of 2m X 2m X 3 m each	70,000 45,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 250 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	125,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (Total 2410 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~590no's)	88,500	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 250 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 1st year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 st year -1670 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7500 83,500	---	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~590 m long) (@Rs 500/m)	295,000	---	15,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

7	Curtaining around the M-sand crusher unit proposed total 150 m long Per sheet required = $150 / 2 = 75$ (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	75,000		10,000
8.	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	2500
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	50,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	20000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting & drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon	30,000		---
17.	Expenditure for Pollution control equipment for M-sand crusher unit	2,50,000		50,000
	Total	12,58,500		2,71,500

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

3. CER Table

B.	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर पाडल्या में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80000/-
	योग	80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन 591 व गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोल आदि।	590
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 250 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1670
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाडल्या परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. – P2/882/2024 Shri Ram Vilas, S/o Ramsvarup Singh Gurjar, Gram Chadeh, Chadeh, Joura, Morena, (M.P.) - 47622. Prior Environment Clearance for Majra Crusher Stone Deposit Mine Khasra No.– 630, an Area of 1.50 Ha. in Village Majra, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.) with Production:- Stone 15,000 M3/ Year. B2 Case DEIAA to SEIAA .

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ram Vilas एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कंपनी / संस्था का नाम व पता	Shri Shri RAM VILASH S/o SHRI RAMSWAROOP GURJAR, R/o Village- Chhadeh, Tehsil- Joura, District-Morena (M.P.) –476221 Prior Environment Clearance for Majra Crusher Stone Deposit in and area of 1.500 ha. (15,000 cum per year) (Khasra No.- 630), Village-Majra, Tehsil-Joura, District-Morena (MP) 476221	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नंबर– 630	एरिया–1.500 ha. शासकीय भूमि
स्थल	ग्राम– मजरा, तहसील–जौरा, जिला–मुरैना (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 83 दिनांक 16/03/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	--Nil--	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृति क्षमता एवं मात्रा	वर्ष– 2017, क्षमता– 75,000 CUM पांच वर्ष, उत्पादित मात्रा–15,000 CUM प्रतिवर्ष	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष,	--Nil--	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

स्वीकृति क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा																			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान हो रहे हैं। <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Pillar No</th> <th>Pillar Latitude (dd:mm:ss.ss)</th> <th>Pillar Longitude (dd:mm:ss.ss)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°18'18.51"N</td> <td>77°47'49.39"E</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°18'14.83"N</td> <td>77°47'52.57"E</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°18'15.46"N</td> <td>77°47'53.47"E</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°18'11.59"N</td> <td>77°47'53.56"E</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°18'11.24"N</td> <td>77°47'50.52"E</td> </tr> </tbody> </table>	Pillar No	Pillar Latitude (dd:mm:ss.ss)	Pillar Longitude (dd:mm:ss.ss)	A	26°18'18.51"N	77°47'49.39"E	B	26°18'14.83"N	77°47'52.57"E	C	26°18'15.46"N	77°47'53.47"E	D	26°18'11.59"N	77°47'53.56"E	E	26°18'11.24"N	77°47'50.52"E
Pillar No	Pillar Latitude (dd:mm:ss.ss)	Pillar Longitude (dd:mm:ss.ss)																	
A	26°18'18.51"N	77°47'49.39"E																	
B	26°18'14.83"N	77°47'52.57"E																	
C	26°18'15.46"N	77°47'53.47"E																	
D	26°18'11.59"N	77°47'53.56"E																	
E	26°18'11.24"N	77°47'50.52"E																	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ब्लास्टिंग</td> <td>अथवा</td> <td>रॉक ब्रेकर</td> </tr> <tr> <td>हाँ</td> <td></td> <td>हाँ</td> </tr> </table>	ब्लास्टिंग	अथवा	रॉक ब्रेकर	हाँ		हाँ												
ब्लास्टिंग	अथवा	रॉक ब्रेकर																	
हाँ		हाँ																	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट अथवा डिया प्रकरण बी-2/टॉर/बी-1 – डिया प्रकरण बी-2																		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – मजरा दिनांक –17 मार्च 2024																		
डिय ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मुरैना के पत्र क्रमांक 01 दिनांक 16/06/2017 के माध्यम से श्री रामविलास गुर्जर पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर के नाम से जारी की गई है।																		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	--Nil--																		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	स्टोन – 15,000 घन मी/वर्ष																		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 332 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नहीं हैं।																		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 332 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।																		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 332 दिनांक 19/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत- मजरा, तहसील- जौरा, जिला- मुरैना के ठहराव प्रस्तावक क्र. 05 दिनांक 02/10/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
ग्राम PEAS के अंतर्गत है या नहीं	हाँ
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र के बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों की संख्या – निरंक
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नंबर – 218 के सरल क्रमांक –33 पर दर्ज है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में लगभग 280 मीटर पर सड़क है। दक्षिण दिशा में समतल मैदान है। पूर्व दिशा में लगभग 280 मीटर पर सड़क है। पश्चिम दिशा में लगभग 400 मीटर पर बस्ती है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति – पेज नंबर –218, सरल क्रमांक – 33
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	--Nil--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन –15,000 मी³ प्रति वर्ष**।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 9.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.50 लाख प्रति वर्ष।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी –

2— EMP TABLE —

Sr. no.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 7.14 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker.	NIL	214,200
1 (b)	Cost of Water tanker (3000 -liter capacity) =40,000/- Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 0.36 KLD @ 3KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	40,000	21600
1 (C)	Discharge of waste water 300 days for 0.288 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	34560
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 466m, Width 6.0 m) @ 300Rs. /Meter.	1,39,800	13,980
3	Monitoring (Air, Water & Noise)	Nil	40,000
4	Grazing Land	20,000	10,000
5	Wire Fence 650 m x 500/- meter	325,000	32300
Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of to Grazing land as for as possible			
A	In Barrier zone =650 No. of Plant @ Rs.150/plant	97,500	19,070
B	Both sides of Approach Road= 466 No. of plants @ avg/-200 per plant.	93,200	
C	684 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs.50/tree	34,200	NIL
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
8	Occupational health Survey 8 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 8	Nil	8,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 8 labor @1200 Rs.	9,600	960

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

10	First Aid Kits, Number of kits 3	5,000	1000
11	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
Solid Waste Management			
12a	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
12b	Transport of Dry Waste	5,000	
13	Vehicle Maintenance +PUC Certification	NIL	25,000
14	Vehicle Maintenance +PUC Certification	5,000	1,000
TOTAL EMP COST		905800	450870

3— CER TABLE -

CER		
Sn. NO	Particular	Amount
1	Planation and Boundary Wall to nearest worship place	1,50,000

4- Plantation in other area.-

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	Sisso, Neem,Karanj,Jungle Jalebi, Khamer,Chirol,Khamer etc.	650
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	Kadam, Chirol,Kachnar,Neem,peepal and others,	466
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	Mango,Munaga, custard apple, jamun,Amrud etc.	684

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 9679/2023 Shri KAMAL SINGH, Lessee, Village Tarana Lodh, Post Itawah Tehsil-Makdona District Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 1325) Village Nanded, Tehsil Makdon(Tarana), District Ujjain , (M.P.) SIA/MP/MIN/469246/2024 EIA

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक कमल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	कमल सिंह पिता भगवान सिंह, निवासी—ईटावा, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1325 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम नांदेड, तहसील तराना, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 16288-12/खनिज/उ.प./न.क/3/2022, दिनांक 14.10.2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 127/खनिज/2022-23, दिनांक 16.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 9 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

की अनापत्ति	क्रमांक 127/खनिज/2022-23, दिनांक 16.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 127/खनिज/2022-23, दिनांक 16.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नांदेड, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पचां/क्यु/2021 दिनांक 30.06.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में कुल 23 पेड़ है जिसमे से 19 पेड़ काटे जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा - 300 मीटर पर पक्की सडक है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे सम्मिलित कर लिया जायेगा
जन सुनवाई	दिनांक 19.01.2024 को जनसुनवाई लागू हुई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति वििष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुासा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
---------	-------	---------------------------	----------------------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,50,000	10,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि - लंबाई) का विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 400 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	3,60,000	50,000
3.	वृक्षारोपण	3,67,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए/	-	1,38,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10,000कूलर/वर्ष रखरखाव के लिए/2000 .और रु (10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(20,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	30,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	3,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ /8000प्रकाश () वेब साइट विकास एवं रखरखाव@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ (3500 खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड)@	60,000	5,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	/2000सूअर आदि (
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 550 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 05) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos.5 एवं मजदूरी	40,000	20,000
15.	खदान के परिधि में 570 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.50/0मीटर (की जाएगी	2,85,000	20,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	10,000
18	निकट ग्राम नांदेड़ LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 200	60,000	-
	कुल योग	14,92,500	4,75,000

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹. में)
गांव नांदेड़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 560 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, सीताफल, सिस्सु आदि।	450
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(400 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	400
3	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले 19 वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पौधे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

	की संख्या ये पौधे ग्राम)भीमाखेड़ी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन के प्रांगण में लगाए जायेंगे(
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, सीताफल, सिस्सु आदि।	1350

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

12. Case No 885/2024 Shri Sanjay Singh, Village - Jaitpur, Jayant, Singrauli, Gopad Banas Sidhi (M.P.) - 486890, Prior Environment Clearance for BARGAWAN MURRUM QUARRY, 235/1/1, Lease Area - 2.00 ha., Capacity – 22,088 M3/Year. Khasra No. - 235/1/1 (Govt Waste Land), Village - Bargawan Tehsil - Deosar District - Singrauli (M.P.) Form 2, DEIAA to SEIA DEIAA to SEIAA B2 Cat.

प्रकरण आज सेक की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

13. Case No 9897/2023 Shri Bhoopendra Sahu, Lessee, R/o 97, Mohan Nagar, Agar Road, District-Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Rudaheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 546/2, 556/1, 556/2, 556/3), Village- Rudaheda, Tehsil-Ghattiya, District- Ujjain (MP) SIA/MP/MIN/470064/2024 (EIA)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक भूपेन्द्र साहू एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भूपेन्द्र साहू पिता संतोश साहू, निवासी-97, मोहन नगर, आगर रोड़, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	546/2, 556/1, 556/2, 556/3 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर निजी भूमि
स्थल	ग्राम रुदाहेडा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 1784/खनिज/उ.प./न.क/2022-23, दिनांक 03.10.2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
टॉर	लागू है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082/खनिज/2022-23, दिनांक 24.11.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 7 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.90 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082/खनिज/2022-23, दिनांक 24.11.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082/खनिज/2022-23, दिनांक 24.11.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे:

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	रेडियो स्टे अन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रूदाहेडा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 13.05.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● खदान क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● पश्चिम दिशा में 390 मीटर पर कच्ची रोड है ● खदान के चारों तरफ कृषि क्षेत्र होने के कारण 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा
जन सुनवाई	दिनांक 10.01.2024 को जनसुनवाई लागू हुई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विविष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति देती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1.ब	पानी की कीमत 3.00 KLD		75,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 840 मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	7,56,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	5,53,000	50,000
4.	निगरानी एण्क्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/61,500	-	1,23,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरऔर (वर्ष/2000 .रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(-	20,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	30,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	3,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट वेब साइट विकास एवं (रखरखाव)@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 () खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000 आदि	48,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	10,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

15	खदान के परिधि में 570 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,85,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 552 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 5) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 5) एवं मजदूरी	40,000	10,000
17	निकट ग्राम रुदाहेडा LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 170	51,000	-
	कुल योग	20,33,000	3,88,000

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
गांव रुदाहेडा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,50,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी 0.4098 Ha. में 570 मीटर पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा।	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड पर 840 मीटर के दोनों तरफ दो लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	840
3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	660

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

14. Case No P2/889/24 Shri VISHAL SHIVHARE, Project Proponent, Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur, District- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Gitti and M sand in an area of 4.00 ha.) (Gitti – 63,840 m³ & M sand- 63,840 m³) (Khasra No. 23/2/1, 23/2/2) Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal (M.P.) SIA/MP/MIN/462629/2024 (B-2) Expansion

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनःमूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s. Hariom Stone Crusher, Prop. Shri Vishal Shivhare R/o- MIG, Shopping Centre, Tila Jamalpura, Dist. Bhopal (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	23/2/1, 23/2/2 (Pvt. land), –नॉन फॉरेस्ट लैंड), Area -4.00ha
स्थल	Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 2021-22/खनिज/उ.प./न.क.32/2019, दिनांक 12/02/2020 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता विस्तार (EC Expansion)
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	यह प्रकरण EC Expansion का है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार उत्पादन क्षमता स्टोन— 61,348घनमीटर/वर्ष व कोपरा— 15,400घनमीटर/वर्ष है। तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तार उत्पादन क्षमता स्टोन – 63,840 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड— 63,840 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन – 63,840 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड— 63,840 घनमीटर/वर्ष है।)
टॉर	Not Applicable B2 project
सिया ई.सी. का विवरण	EC Letter No. – 3598/SEIAA/2020 File No. – 7488/2020 Date of Issue EC – 14.10.2020 (Area-4.00ha, Production Capacity for Stone- 61,348Cum/Year & for Kopro- 15,400Cum/Year)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृति नहीं है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साइट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिल्लोद जिला भोपाल के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 07/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-3। ● पेड़ काटा नहीं जायेगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा में कच्चा रोड 433 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक- 45 में सरल क्र. 148 में है।
जनसुनवाई	लागू नहीं है।

सिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। 961मीटर में से 481मीटर फेंसिंग की गई है।	अपूर्ण फेंसिंग 481 मीटर की लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ला गई है। जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। 4820 पौधों में से 3700 पौधों बैरिया जोन में लगाये जा चुका है।	पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर बचे हुए 1120 पौधे ग्राम दिल्लोद के ग्रामीणों में वितरित करवा दिये

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		जायेंगे। जिसकी लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ली गई है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। 45 मीटर गारलेण्ड ड्रेन बनवाया गया है। सेटलिंग टैंक नहीं बना है।	गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ला गई है। जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम दिल्लोद के शासकिय स्कूल में रगाई पुताई का कार्य, टाईल्स लगवाने का कार्य व बच्चों के लिए बैग आदि का वितरण किया गया है। जिसमें 1,20,000 में से राशि 97,890रु खर्च किया गया है।	सामाजिक कार्य के लिए बची हुई राशि का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
पीपी को वृक्षारोपण और प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण वाली एक लॉग बुक भी रखनी चाहिए और पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वनस्पतियों को कोई नुकसान न हो	लॉग बुक मेंटेंन नहीं की गई।	हम वचन देते हैं कि लॉग बुक मेंटेंन करेंगे।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार चारागाह विकास की स्थिति	चारागाह का विकास नहीं किया गया है।	हम हमारी खदान के आस-पास शासकिय भूमि में चारागाह का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा। जिसकी लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ली गई है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि सिया द्वारा पत्र क्रमांक 3598 दिनांक 14/10/22 में ई.सी. जारी की गई थी। पूर्व में जारी ई.सी. में दी गई शर्तों के पालन में फेंसिंग कार्य 80 प्रतिशत, बैरियर जोन में 7.5 मी. पर 3700 पौधों का रोपण व सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। चारागाह विकसित नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को चारागाह विकसित करने, लॉगबुक प्रस्तुत करने, प्रमाणीकरण पत्र, पूर्व में जारी ई.सी. में दी गई शर्तों का बिन्दुवार लागत एवं व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये। डी.जी.एम.एस. से प्रदाय की गई अनुमति की वैधता 02/06/2022 को समाप्त हो गई है, इसका नवीनीकरण कराया जाये एवं समिति ने निर्देश दिये कि Deep Hole drilling and Blasting की स्थिति में पृथक से डी.जी. एम. एस. से अनुमति लेना होगी। बिन्दु क्रमांक 3.3.1 व 3.3.2 पैरा में वर्षवार 2024-25 हेतु 5 बेंच का निर्माण होगा जिससे कुल

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

उत्पादन 1,27,680 क्यूबिक मीटर किया जावेगा । इस हेतु 30 मीटर गहराई माईनिंग प्लान में दी गई है, अभी तक खनन कार्य 13 मीटर गहराई तक हो चुका है । बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसका रेस्टोरेशन किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- स्टोन - **63,840** घनमीटर/वर्ष और एम सैंड- 63,840 घनमीटर/वर्ष है ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रु. 11.69 लाख एवं रिक्किंग राशि रु. 6.17 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	50,000
1 (b)	Cost of water of 4500 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days	NIL	2,02,500
2	Garland Drain is proposed (229m x 1.5m x 1.5m) Settling Tank is 15m x 04m x 2.5m (03 No.)	50,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mx 5m) @300/sqm	3,00,000	30,000
4	Barbed Fencing 50%@ (481m x Rs.300)	1,44,300	14,430
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation -1500 Plants for One years 1500 xRs.200= Rs. 3,00,000/-	4,13,500	41,350
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation 70 Plants for one years 70xRs.500= Rs 35,000/-		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 3200Plants for Two (3200X Rs. 50)= Rs. 22,500/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 10--11 labour@Rs.10,000/cooler)&Rs.2000/year for maintenance	Already Provided	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	Already Provided	10,000
9	Medical Check-up for 10-11 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	Already Provided	2,000
11	PPEs for other mining operations for 10-11 workers @ Rs. 1500/worker	Already Provided	2,000
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	Already Constructed	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 29 trucks @1000/truck	NIL	58,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	crusher is not proposed within the lease	
17	Vocational Training for 10 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	5,000

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

19	Adoption of trees for carbon sequestration	50,000	5,000
20	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission.	20,000	-
21	Restoration of barrier zone and any other activity Related to mine	1,00,000	nil
	Total	11,69,800/-	617,180/-

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम दिल्लीद के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा प्रथमवर्ष में किया जायेगा।	60,000 / -
योग	60,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
प्रथम वर्ष			
1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	1500
2	परिवहन मार्ग (200 मीटर) (पूर्ण सुरक्षा सहित)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	70
3	दिल्लीद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा, सीताफल अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	3200

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

4	शासकीय विद्यालय दिल्लौद	कचनार, पुत्ररंजीवा ,मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	30
---	-------------------------------	--	----

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No P2/890/24 Shri AMIT VERMA, Lessee, R/o- H. No. 14/45, ward 14, Ashta Road Polay Kala, Shajapur, District-Shajapur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti), M sand and Murrum in an area of 2.00 ha.) (Stone (Gitti) – 10000 m3/Year, M-Sand – 5000 m3/Year, Murrum – 5200 m3/Year) (Khasra No. 1/8/4) Village - Polaykalan, Tehsil- Polaykalan, District- Shajapur (M.P.) SIA/MP/MIN/ 470514/2024 (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित वर्मा पिता श्री कुंदन वर्मा ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अमित वर्मा पिता श्री कुंदन वर्मा निवासी मकान नंबर 02 वार्ड नंबर 14 आष्टा रोड पोलायकला जिला शाजापुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 1/8/4	2.00 Hectare.
स्थल	ग्राम पोलायकला तहसील-पोलायकला जिला- शाजापुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 516/खनिज/2024 दिनांक 12/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम -5,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम -5,200 घनमीटर/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 649/खनिज/2024 दिनांक 08/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 649/खनिज/2024 दिनांक 08/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 649/खनिज/2024 दिनांक 08/04/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर परिषद पोलायकलॉ जिला शाजापुर के अनापत्ति पत्र क्रमांक 2024/23/दिनांक 10.01.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण -6 <ul style="list-style-type: none"> ● यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 03 ● काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 30

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति</p>	<p>उत्तर पूर्व दिशा – लीज के अन्दर उत्तर पूर्व दिशा में गड्डा परिलक्षित हो रहा है जिसके बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय अभिलेख के पूर्व में मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी को ग्राम पोलायकला के सर्वे क्रमांक रकबा हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु मुरम परिवहन अनुज्ञा जारी की गयी थी , जिसका कलेक्टर कार्यालय शाजापुर द्वारा लिया पत्र संलग्न है । उत्खनिपट्टे क्षेत्र के भीतर पूर्व से निर्मित एक गड्डा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा 834-खनिज-2023 दिनांक 29.05.2024 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में पूर्व में मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी को ग्राम पोलायकला के सर्वे क्रमांक रकबा हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु मुरम परिवहन अनुज्ञा जारी की गयी थी जिसका गड्डा स्थित है ।</p>
<p>प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>पश्चिम दिशा- 34 मीटर पर हॉल रोड स्थित है । 500 मीटर की दूरी पर पावर ग्रिड का एक सब स्टेशन स्थित है ।</p>
<p>जन सुनवाई</p>	<p>नया प्रकरण है । लागू नहीं है ।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम -5,200 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित एम् सैंड स्टोन क्रेशर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एम् सैंड क्रेशर प्लांट में स्लरी प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

5. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.66 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 550 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And a of Sedimentation Tank for M-sand Three of 2m X 2m X 3 m each	75,000 45,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 250 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,25,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (2430 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~640no's)	96000	---	20,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 100 no's on evacuation route up to 250 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 1 st year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 st year – 1640 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7500 82,000	---	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~640 m long) (@Rs 500/m)	3,20,000	---	15000
	Curtaining around the crusher unit : total 100 m long (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	50,000		10,000
7	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1500
Labour Welfare				
8	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	50,000	---	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
10.	Occupational health checkup for 14 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	30,000		---
16.	Expenditure for pollution control equipment for M-sand & crusher unit	2,50,000		50,000
	Total	12,69,500	---	2,66,500

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	ग्राम पाखरियापूरा के शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 6 माह के भीतर पाखरियापूरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जावेगी	90,000/-
	योग	90,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	640
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1640

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

4	शासकीय माध्यमिक विद्यालय पोलायकला परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 9678/2023 Smt. Uma Gupta W/o Shri Rahul Gupta, Proprietor, R/o 17/11, Mahakal Vinayak Kendra, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Chakjayrampur Stone (Gitti) Quarry & M-Sand in an area of 1.20 ha. (Stone-10000 and M-Sand-10000 Cum per annum) (Khasra No. 221/1, 221/2, 222/1, 222/2), Village-Chakjayrampur, Tehsil-Harsodaj, District-Ujjain (MP) 470557/2024 (EIA)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक उमा गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स गुप्ता स्टोन क्वॉरिंग प्रो. श्रीमति उमा पति राहुल गुप्ता, निवासी-17/11, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, नानाखैडा, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	221/1, 221/2, 222/1, 222/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.20 हेक्टेयर निजी भूमि
स्थल	ग्राम चकजयरामपुर, तहसील व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 374/उ.प./न.क्र-29/18 खनिज/2019-20, दिनांक 11.02.2020 के

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
टॉर	लागू है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 एवं एम.-सैण्ड 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 एवं एम-सैण्ड 10,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/2022-23, दिनांक 17.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.25 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/2022-23, दिनांक 17.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/2022-23, दिनांक 17.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरसोदन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु./पंचा/2018, दिनांक 03.05.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● 7 पैड है जो नही काटे जाएंगे ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● पूर्व दिशा में 180 मीटर पर विद्यालय है जिसके कारण 20 मी का सेट बैक दिया जाएगा ● उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में कृषि क्षेत्र होने के

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	कारण 25 मी का सेट बैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 37 के सरल क्रमांक- 56 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	दिनांक 12.01.2024 को जनसुनवाई लागू हुई है ।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौर पाया कि आसपास की खदानों में कोई पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हो रहे हैं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, बताया कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से सत्यापित करवा ली गई है जिसका पत्र क्रमांक 18-B-128/2022/SEAC दिनांक.29/05/2024 हैं एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-10,000 एवं एम.-सैण्ड 10,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत	आवर्ती लागत (रुपये में)
---------	-------	------------	----------------------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		(रुपये में)	
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 3.50 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 390 मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	3,51,000	30,000
3.	वृक्षारोपण	3,85,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/69,000	-	1,38,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक वाटर) 50-30/कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरवर्ष /2000 .और रु (रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रख रखाव के लिए रु. 3000/वर्ष	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में) दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	22,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु कार्यकर्ता / 1500	-	33,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	3,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट () वेब साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब (48,000	4,000

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

	कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4खदान के प्रवेश द्वार पर () डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि		
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ (श्रम/ रुपये 500	-	11,000
15	खदान के परिधि में 500 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,50,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 470 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 5) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 5) एवं मजदूरी	35,000	10,000
17	खदान क्षेत्र में क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	2,50,000	1,00,000
18	कार्बन उत्सर्जनकाम करने के लिए निकट ग्राम चकजयरामपुर के शासकीय विद्यालय में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाएगा	60,000	-
	कुल योग	16,04,000	5,64,000

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम चकजयरामपुर में विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	1,30,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी 7.50 मीटर(490 मीटर) पर एवं कृषि क्षेत्र के कारण मी 25के सेड बैंक के साथ तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	600
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड पर 390 मीटर के दोनो तरफ दो लाईनो में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	390

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

	जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में		
3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1410
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

17. Case No 9670/2023 Shri SHABBIR PAKAWALA, Lessee, 16, Rambaag , Ratlam (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (3)007 to 20,000 cum per annum) (Khasra No. 273/17) Village Rampuriya Tehsil Ratlam District Ratlam (M.P.) SIA/MP/MIN/470686/2024 (EIA)

प्रकरण आज सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

18. Case No P2/892/24 Shri Jitendra Kumar, Authorized Persion, M/s APEX STRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- Unit 7-8, Second Floor, 201, Satguru Prime Bicholi Mardana Indore, District-Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.5 ha. (35000 cum per annum, OB- 10324 m3/Year) (Khasra No. 485/1) Village - Mangrola, Tehsil- Shujalpur District- Shajapur (M.P.) SIA/MP/MIN/470858/2024 B-2 (Temporary Parmit)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक अपैक्स स्ट्रक्चर प्राइवेट लि. ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अपैक्स स्ट्रक्चर प्राइवेट लि. यूनिट 7-8 द्वितीय तल 201 सतगुरु प्राईम बिचौली मर्दाना इंदौर जिला-इंदौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 485/1	2.500 Hectare.
स्थल	ग्राम मगरोला तहसील-शुजालपुर जिला- शाजापुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 516/खनिज/2024 दिनांक 12/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-35,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन 10,324 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन-35,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन 10,324 घनमीटर/वर्ष	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 695/खनिज/2024 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 695/खनिज/2024 दिनांक 08/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 695/खनिज/2024 दिनांक 08/04/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत मगरोला के अनापत्ति पत्र क्रमांक Q 2024/दिनांक 08.03.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेजर की स्थिति	क्रेजर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण –18 <ul style="list-style-type: none"> ● यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 10 ● काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 100
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – पूर्व दिशा में 275 मीटर पर पक्का रोड परिलक्षित हो रहा है पूर्व दिशा – पूर्व दिशा में 250 मीटर पर रोड के किनारे घर परिलक्षित हो रहे हैं
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन-35,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओवर बर्डन 10,324 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित स्टोन क्रेजर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेजर प्लांट में वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.51 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 600 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	90,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 150 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (3100 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~740 no's)	1,11,000	---	
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 st year -2310 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	7,500 1,15,500	---	
	Cost for the maintenance of the plantation which are planted will be given to the Gram panchayat office @Rs 100/plant	79000		
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	
6.	Wire fencing (~638 m long) (@Rs 500/m)	319,000	---	15000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 200m long (per sheet 2mX4m) Rs 1000/per sheet	1,00,000		30,000
7.	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1,500
Labour Welfare				
8.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
10.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon mitigation.	20,000		
	Installation of the solar Panel at the school/Aaganwadi Kendra of village Mangrola wherever required.	75000		
16.	Expenditure for crusher pollution control equipment for crusher Unit	250,000		50,000
	Total	14,11,000	---	2,51,500

CER Table

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर चौखंडा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बैंक खाते में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	100,000/-
	योग	100,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	----------------------------------	---------------------	---------------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:- नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	740
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि ।	2310
4	ग्राम मंगरौला स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि ।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 9705/2023 Shri Mehruddin Khan, Owner, R/o Village-Balsamud, Tehsil-Kasrawad, District-Khargon (MP)-454552, Prior Environment Clearance for Lodhipura Stone Gitty Quarry in an area of 4.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 97), Village-Lodhipura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) [408334] SIA/MP/MIN/470851/2024 (EIA)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेहरुदीन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री मेहरुदीन पिता चिरागुदीन, निवासी-बालसुमद, तहसील-कसरावद, जिला खरगौन म.प्र.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	97 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम लोधीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक - 1357/उ.प./न.क-09/22/खनिज/2022-23, दिनांक 13.10. 2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
टॉर	लागू है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-25,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 133/खनिज/2022-23, दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 133/खनिज/2022-23, दिनांक 13.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 133/खनिज/2022-23, दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जेतापुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.08.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व दिशा में 200 मीटर पर जलाशय है • दक्षिण पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पानी की टंकी है जिसके कारन 30 मीटर का सेटबैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
जन सुनवाई	दिनांक 24.01.2024 को जनसुनवाई लागू हुई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आसपास की खदानों में कोई पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विंष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—25,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत	आवर्ती लागत
---------	-------	------------	-------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		(रुपये में)	(रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	75,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 350 मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	3,15,000	30,000
3.	वृक्षारोपण	7,95,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/78,000	-	1,56,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर .और रु (/2000वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष) में दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	18,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	27,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	2,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट वेब साइट विकास एवं (रखरखाव)@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 () खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि	48,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	9,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

15	खदान के परिधि में 500 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.80/0मीटरकी जाएगी(4,00,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 798 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	50,000	10,000
17	कार्बन उत्सर्जनको कम करने के लिए निकट ग्राम लोधीपुरा LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 200	60,000	-
	कुल योग	19,18,000	5,14,000

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम लोधीपुरा भासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु पालक शिक्षक संग में राशि जमा कराई जायेगी ।	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी और गैर खनन योग्य क्षेत्र 0.5290 (Ha) 800 मीटर पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल,सीताफल, सिस्सु आदि ।	1600
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1000 मीटर) के दोनों तरफ दो लाईनो में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1000
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे (ग्राम -लोधीपुरा एवं धामनोद)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	2100
4	नॉन माइनिंग जोन में किया जाने वाला पौधारोपण	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल,सीताफल, सिस्सु आदि ।	100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 10561/2023 Shri Narayan Maheshwari, Project Proponent, R/o Infront of Nolakhi Jain Mandir, Pathari, District-Vidisha (MP)-464337. Prior Environment Clearance for Babai Kalan Flagstone Quarry in an area of 4.00 ha. (2570 cum per year) (Khasra No. 12/2), Village-Babai Kala, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP) [434963] EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक नारायण माहेश्वरी पिता स्व. श्री रामविलास माहेश्वरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	नारायण माहेश्वरी पिता स्व. श्री रामविलास माहेश्वरी पता—मकान न.15 नौलखी जैन मंदिर के सामने गंजबासोदा जिला विदिशा (म0प्र0)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम—बाबई कला तह.पठारी —जिला—विदिशा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 5575-76/खनिज/गुप-2/न.क्र./उ.प्र./2021 दिनांक 25.04.22 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फर्शी पत्थर की खदान होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं होगी।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं	
टॉर	ToR Letter No. : 2161/SEIAA/2023/05/12/2023	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—2570 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर—2570 घन मीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 21.08.2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 7.500 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 21.08.2023. अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 21.08.2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाबई कला जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक.01 दिनांक 29.01.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहार है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	उक्त प्रस्तावि परियोजना स्थल पर कोई पेड़ नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - 611 मीटर की दूरी पर ग्राम बाबई कला स्थित है ।
	दक्षिण दिशा - 198 मीटर मानव निर्मित वर्षा का जल रोकने हेतु जलाशय बनाया गया है ।
	पूर्व दिशा - 403 मीटर दूरी पर पक्की सड़क है ।
	पश्चिम दिशा - 764 मीटर मानव निर्मित जलाशय है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-107 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28.03.2024 को संपन्न हुई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 2,570 घन मीटर प्रति वर्ष है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. **5,39,525/-** एवं रिकरिंग राशि रु. **Recurring: 2,72,825/-** प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
पर्यावरण संरक्षण के लिए			
1 (a)	खदान से पहुँच मार्ग पर वाटर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव 460 मी x 3 मी = 1380 वर्ग मीटर & होलेज रोड 749 मी x 3 मी = 2247 वर्ग मीटर = 3627 वर्ग मीटर x 0.750 लीटर = 2720 लीटर प्रतिदिन । @1 टैंकर पानी प्रतिदिन 300/-x 125 दिन ।	0.00	37,500.00 X 5 प्रतिवर्ष
1 (b)	वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता 3600 @ 1 लीटर = 3600 लीटर । 1 टैंकर 245 दिन	0.00	73,500.00 X 5 प्रतिवर्ष
1 (C)	खदान पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए पानी की आवश्यकता 15x45 लीटर प्रति व्यक्ति = 0.765 लीटर (3600 + 675 लीटर) 4275 @ 1 टैंकर पानी प्रतिदिन 300/-x 245 दिन ।		
2	गारलैंड ड्रेन प्रस्तावित है (954 मी X 1 मी X 1 मी) @ 100/-सेटलिंग टैंक 2.5 मी x 2.5 मी x 2.5 मी @ 200/-	98,525.00	9825.00 (पूंजी का 10%)
3	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि के विकास के साथ रख-रखाव किया जावेगा ।	25,000.00	5,000.00 (पूंजी का 10%)
4	4800 पौधों का वृक्षारोपण के लिए बजटीय प्रावधान और उनका वार्षिक रख-रखाव, @ 50 / पेड़ (पेड़ों की लम्बाई 3-4 फीट)	2,40,000.00	48,000.00
5	वार्षिक निगरानी लागत (छह मासिक आधार पर वायु/जल/शोर स्तर का एक नमूना) @ रु. 15000/- प्रति छह माह ।	0.00	30,000.00 X 5 प्रतिवर्ष
6			
6	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @ 12000 X 2 और रु। रख-रखाव के लिए 3000/ वर्ष।	24,000.00	3,000.00 (पूंजी का 10 %)
7	11 श्रमिकों के लिए चिकित्सा जांच @ 500/ कर्मचारी (वर्ष में दो बार)	55,000.00	11,000.00 (पूंजी का 100%)
8	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @ 25000 X 1	25,000.00	2500.00 (पूंजी का 10 %)
9	15 श्रमिकों (11+4 अतिरिक्त) के लिए अन्य खनन कार्यों के लिए सुरक्षा के उपकरण (@ रु. 1500 / कर्मचारी	0.00	22,500.00 (पूंजी का 100%)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

10	श्रमिकों के लिए आश्रय कक्ष (10*10) = 100 वर्गफुट @ 200 रुपये /वर्गफुट।	20,000.00	2,000.00 (पूँजी का 10 %)
11	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जावेगा @ रु. 1000/ नग	2,000.00	2,000.00 (पूँजीका 100%)
12	2 ट्रक @ 500/ ट्रक के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण।	0.00	2,000.00 (पूँजी का 100%)
13	चराई भूमि विकास रु. @ 5000/- <5.00 हेक्टेयर। (क्षेत्रफल- 4.00 हेक्टेयर)	20,000.00	5000.00
14	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, वेबसाइट विकास एवं रख-रखाव, वेब कैमरा , सावधान के बोर्ड खदान के चारो तरफ एवं प्रवेश द्वार पर आदि।	30,000.00	3,000.00 (पूँजीका 3%)
15	ओबी से सीमा दीवार का निर्माण	0.00	0.00
	Total	5,39,525.00	2,72,825.00

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **70,000/-** तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बाबई कलां विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक सामग्री किताब कॉपी व स्कूल बेगों का वितरण।	70,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 2 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण का स्थान	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों की संख्या	टिप्पणी
1	बॅरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	तेन्दु, गूलर, बहेड़ा, खैर, पीपल, व स्थानीय प्रजाति आदि। 4 पौधों के बीच में एक फलदार पौधे का रोपण किया जाएगा।	1200	पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.60मी. x 0.60 मी. x 0.60मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	हल्दू, सेमल, तेन्दु, गूलर, सेजा, बहेड़ा, हर्रा, खैर, पीपल व चिरोल आदि।	1200	
3	बेनेगाँव स्कूल एवं ग्राम पंचायत बेनेगाँव के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	हल्दू, सेमल, तेन्दु, गूलर, सेजा, बहेड़ा, हर्रा, खैर, पीपल एवं स्थानीय प्रजातियां।	1200	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

4	बेनेगाँव, दहेदी, अमझर ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, सीताफल, मुनगा, नींबू , जामुन, अमरुद, कटहल, आंवला, अनार व स्थानीय प्रजाति आदि।	1200	और शेष मिट्टी से भरा जाएगा ।
Total			4800	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभाविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

21. Case No P2/887/24 ARVIND JAISWAL, owner, Village-Daudwa, Tehsil-Bhikangaon, M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti), in an area of 2.0 ha.) (Stone – 5044 m³/Year) (Khasra No. 203/6] 203/8) Vill. Daudwa, Tehsil – Bhikangaon, Distt. Khargone SIA/MP/MIN/ 466308/2024 B-2

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद जैसवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	ARVIND JAISWAL, owner, Village-Daudwa, Tehsil-Bhikangaon, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	203/6, 203/8 (निजी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	Vill. Daudwa, Tehsil – Bhikangaon, Distt. Khargone	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 20/8/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 294 दिनांक 04/10/2018 के द्वारा पत्थर-5044 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 5044 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 5044 m ³ /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौड़वां जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 472 दिनांक 15/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण खरगोन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-64 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

22. Case No P2/895/24 Shri ASHOK JAIN, Owner, 61 Radhakrishna Vihar, Piplyahana, Radio Colony, Indore, Indore, Madhyan Pradesh – 452001 Prior Environment Clearance for Calcite Mine in an area of 2.9 ha. (1050 cum per annum) (Khasra No. 413) Village- Semli, Tehsil- Pati, District- Barwani(M.P.). SIA/MP/MIN/471070/2024 (B-2)

प्रस्तावित केल्साइट खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक कुमार जैन, आत्मज श्री बाबूलाल जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ashok Kumar Jain, S/o Shri Babulal Jain, Resi – 61 Radha Krishna Vihar, Pipliana, District- Barwani (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	413 (शासकीय – भूमि)	2.90 hectare.	
स्थल	Village- Semli, Tehsil- Patni, District- Barwani (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बंडवानी के पत्र क्रमांक 3-30/2005/12/1 दिनांक 27/09/2005 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 14/09/2023, क्षमता- केल्साइट – 1,050 टन/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम-सेमली, दिनांक- 29/04/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता- केल्साइट – 1,050 टन /वर्ष है ।		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 14/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 14/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 14/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता कच्चा रास्ता /नाला नहीं है। एवं करीबा 7-8 मकान हैं और नदी है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेमली जिला बडवानी ठहराव क्र. 28 दिनांक 03/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में वृक्ष स्थित हैं जिन्हें काटा नहीं जाएगा एवं कुक्ष पेड सेटबैक में आ रहे हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 320 मीटर एवं पक्का रोड लगभग 130 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	पूर्व दिशा— नाला लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा— नदी लगभग दक्षिण पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 80 मीटर का सेटबैक दिया गया है। एवं दक्षिण पश्चिम में नदी की दूरी 100 मीटर है। क्योंकि केलसाइट रीफ उपर होने के कारण 40 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	सेटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.3243 हेक्टेयर एवं नॉन माईनिंग एरिया 1.5757 हेक्टेयर है।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/04/2024
--	------------

समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि खनन क्षेत्र कुल 2.9 हैक्टेयर है । 20 मीटर पर नहर होने के कारण 80 मीटर सेटबैक देने से 1.20 हैक्टेयर खनन क्षेत्र बचता है । अतः नदी से लगे 1.70 हैक्टेयर शेष बचे क्षेत्र तथा खनन क्षेत्र के बाहर आसपास के क्षेत्र को शामिल करने पर लगभग 2.0 हैक्टेयर होता है जिसमें जल संरक्षण के कार्य तथा वृक्षारोपण कराया जाए । जिसमें खसघास का रोपण किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता खदान- केल्साइट- 1,050 टन/वर्ष
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.372. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.13 लाख प्रति वर्ष

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	61020	-
1(b)	Water requirement- 1.356 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (130 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 150/plant.	900 plants × 150 Rs=1,35,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1050 plants × 50 Rs=52,500/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @	450 plants × 250	
		3,77,000	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	Rs.250/plant	Rs=1,12,5,000/-		
	d) Plantation Along the River side @ Rs.70/plant	1100 plants ×70 Rs=77,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 993 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000	
5	Wire fence (988 m) @200 rupees/meter.	1,97,600	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10 × 500 × 2)	-	10,000	
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500)	15,000	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-	
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (644 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	64,400		
	TOTAL	11,37,205 /-	1,13,000/-	

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **3500** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण योजना			
वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या	
प्रथम वर्ष में नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 पंक्ति – खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (200) • 4-5 पंक्ति – कटंग बाँस, (150) • 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (150) 	1100	(1100X70 = 77,000)
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौं, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1050	(1050X50 = 52,500)
बैरियरजोन में वृक्षारोपण	नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, चिरोल, खमेर एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों की प्रजातियाँ आदि	900	(900X150 = 1,35,000)
परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	450	(450X250 = 1,12,500)
	योग	2600	3,32,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. – P2/905/2024 Shri Ram kumar Narwani (Authorized Signatory) M/s. RKN Buildcon India pvt. Ltd. Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, Shop No. 10 Upper Grond Plot No. G2/113, Amaltas Regency, Gulmohar, Bhopal (M.P.) 462016, Prior Environment Clearance for Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, at Khasra No. - 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1, 204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2, Village- Khajuri Kalan, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Total Plot area –22631.99 Sq. m (5.59 Acre), Built-up Area - 55734.79 sq.mtrs., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. SIA/MP/INFRA2/471249/2024.

PP submitted following information on parivesh portal.

SN	Information Required	Details
1.	Project Name & details	Case No. – P2/905/2024 Shri Ram kumar Narwani (Authorized Signatory) M/s. RKN Buildcon India pvt. Ltd. Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, Shop No. 10 Upper Grond Plot No. G2/113, Amaltas Regency, Gulmohar, Bhopal (M.P.) 462016, Prior Environment Clearance for Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, at Khasra No. - 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1, 204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2, Village- Khajuri Kalan, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Total Plot area –22631.99 Sq. m (5.59 Acre), Built-up Area - 55734.79 sq.mtrs., <i>Cat. - 8(a). Building and Construction projects.</i> SIA/MP/INFRA2/471249/2024.
2.	Description of Project	The Proposed project is “Nakshatra Township” Construction of Residential Plotted & Group Housing Project by M/s RKN Buildcon India Private Limited, Ram Kumar Narwani (Authorized Signatory). The total plot size of the project is 22631.99 Sq.mtr. (2.264 Ha.) at village- Khajuri Kalan, VikasKhand- Phanda, Tehsil- Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462016.
3.	Project Proposal For	New.
4.	Total Numbers of flats	532 Units.
5.	Lat./Log.	1 A 23°13'9.62"N 77°30'6.70"E 2 B 23°13'8.91"N 77°30'11.36"E 3 C 23°13'2.47"N 77°30'9.56"E 4 D 23°13'5.62"N 77°30'3.42"E 5 E 23°13'7.19"N 77°30'5.59"E 6 F 23°13'8.66"N 77°30'8.68"E
6.	T&CP Permission details	Dated 22 /09/2023.
7.	Water NoC	BMC Letter no. 47 dated 12 /04/ 2024.
8.	Land Diversion	Date 16/10/1998.
9.	NOC for Sewage water	NOC for Sewage water disposal S. No. 132 dated 16.04.2024.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	disposal	
10.	Height of Building	30.00 Mts.
11.	DG Set details	Capacity –2x300 kVA (DG Set).
12.	Environmental Consultant	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.)

The case was presented by Environmental Consultant Ms. Rashmi Saraswat and Mr. Varun Bhardwaj from M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) and PP Shri Ram Kumar Narwani, Authorized Signatory .

- Wherein PP submitted that proposed Group Housing Building “Nakshatra Township” Construction of Residential Plotted and Group Housing By M/s RKN Buildcon India Private Limited, Mr. Ram Kumar Narwani, which is to be developed at Plot No. Khasra no. 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1, 204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2 Village/Tehsil/District- Bhopal State – Madhya Pradesh.
- The total plot size for the project is 22631.99 Sqm (5.59 acres). The project will be developed for Residential. The proposed project consists of Duplexes, Group Housing and Shops etc. The total Built up Area is 55734.79 m², which is less than 1, 50,000.00 m² therefore, the project comes under schedule 8(a); category B2 as per the EIA Notification 14th September, 2006.
- Proposed Building Heights is 30 Mtrs, Total Population is 3634, and Total Water requirement is 445 KLD (Fresh water 295 KLD) which will be met by Municipal Water Supply. Waste Water generation at the site will be 385.33 KLD which will be treated by the STP having Capacity of 400 KLD. No. of RWH pit at the Site proposed is 5 pits. Total Number of parking proposed are 720 which will be in Basement, Stilt, EWS/LIG/Plots, ground floor.
- The power supply will be supplied by MP Central Zone Electricity Distribution Company. The connected load for Commercial project is approx.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

3410KW. The power backup will be met by 2 DG Set having capacity of 300 kVA each. Solid waste generated at the project site will be 1801 kg/day. Green Area proposed at the site is 2001.78 sqm i.e., 11% of the total project area and number of plantation proposed at the site will be 1000 in numbers.

PP further submitted that -

- i. 150 KW Solar renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 21 % of the demand load.
- ii. 28 nos. of e – vehicles charging points shall be provided at the project site.
- iii. Basic facilities like wash rooms and toilets (04 nos.) for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers provided at podium nearby gym.
- iv. The BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- v. Proposed Green area shall be 11% with plantation scheme & species as suggested by the committee.
- vi. As per T&CP Guidelines and BMC Building permission Rule. The minimum required space between two residential is 06 meter for the maximum building height upto 30 Meters and in our project we are providing 7.2 meters gap between each block.
- vii. Four Common Toilets for Residential employees (Separate for Male and Female) nearby club house.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Proposed Group Housing Building “Nakshatra Township” Construction of Residential Plotted and Group Housing By M/s RKN Buildcon India Private Limited, Mr. Ram Kumar Narwani, which is to be developed at Plot**

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

No. Khasra no. 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1, 204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2 Village/Tehsil/District- Bhopal State – Madhya Pradesh. Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.
- x. **The project proponent shall obtain Consent to Establish & Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board within 15 days after issue of EC.**

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 02 Diesel power generating sets 300 kVA * 02 no. is proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets 300 kVA * 02 no. shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel

shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 445 KLD out of which 295 KLD is fresh water requirement and 385.33 KLD will be the total recycled water generated, out of which 149.305 KLD recycled water will be used for flushing and 20.02 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF&CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 10% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 05 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 42.74 m³/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity - 400 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 400 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. Total waste 1801 Kg/day, this consist all types of wastes these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (1801 kg/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 1000 trees shall be planted in the 12% of total plot area which is developed as greenbelt development as follows:

S. No.	Common Name	Biological Name
1	Palas	Butea monosperma
2	Keolar	Bauhinia purpurea
3	Kachnar	Bauhinia variegata
4	Amaltas	Cassia fistula
5	Kadam	Neolamarckia cadamba
6	Karanj	Millettia pinnata
7	Bakula	Maul sari
8	White Frangipani	Plumeria Alba
9	Pride of India	Lagerstroemia speciosa
10	Golden Rain Tree	Koelreuteria pediculate
11	Flamboyant Flame Tree	Delonix regia
12	Fishtail Palm	Caryota
13	Gulmohar	Delonix regia
14	Ashoka Tree	Saraca asoca
15	Christmas tree	Araucaria columnaris
16	Mango trees	Mangifera indica
17	Kusum	Schleichera oleosa
18	White Frangipani	Plumeria Alba

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

19	Curry Tree	Murraya koenigii
20	Ashoka Tree	Saraca Asoca
21	Ficus benjamina	weeping fig
22	Neem Tree	Azadirachta indica

- ii. Not tree will be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iv. Total proposed Parking's arrangement for 720 ECS.
- v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP& Corporation Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. **For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 1.74 Cr as capital and Rs. 0.207 Cr as recurring cost for this project.**

S. No.	Attributes	Assigned work	Capital Cost (Lakhs)
1	Air Environment	Barricades, green net,	18.00
		Vehicle maintenance and covered loading unloading of the construction Material	02.00
2	Construction Waste Management	Covered Transportation, storage of construction waste	0.65
3	Soil Environment	Topsoil storage and land filling activities for the Landscaping and other areas waste	0.70
4	Noise Management	Vehicle and machineries maintenance, noise safety equipment's. waste	0.15
5	Water Quality Management	Process water arrangements for construction and sprinkling, Domestic water arrangements for construction and operation phase,	5.0
		STP	40.0
		RWH	5.0

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

6	Occupational Health and Safety of construction worker	PPE, site safety , fire safety management for construction, health checkups	1.50
7	Ecological Environment	Plantation and other carbon footprint reducing work like Solar,	46.0
8	Disaster Management	fire safety management (As per Fire NOC Dispatch No. - 6100012904/FNOC/COL/2023/7416 Dated 20.12.2023)	50.0
		80 CCTV's	5.0
TOTAL			174.0

Bifurcation of the EMP activities are as given below:-

S. No.	Attributes	Construction Phase (2024-2026) Three years			Attributes	Operation Phase (2027-2032)- five years		
		Capital Cost	Recurring Cost/Yr.	Total (capital cost + 3 year)		Capital Cost	Recurring Cost/Yr	Total (capital cost + 5 year)
1	Air Environment	50,00,000	1,50,000	54,50,000	Air Environment	NIL	50,000	2,50,000
2	Construction Waste Management	15,000	45,000	1,50,000	Operation Phase Waste Management	50,000	1,00,000	5,50,000
3	Soil Environment	20,000	15,000	65,000	Soil Environment	50,000	15,000	1,25,000
4	Noise Management	15,000	10,000	45,000	Noise Management	NIL	10,000	50,000
5	Water Quality Management	50,00,000	40,000	51,20,000	Operation Phase Water Quality Management	NIL	12,00,500	60,02,500
6	Occupational Health and Safety of construction worker	1,50,000	25,000	2,25,000	Occupational Health and Safety of construction worker	NIL	NIL	NIL
7	Ecological Environment	20,00,000	2,00,000	26,00,000	Ecological Environment	NIL	2,00,000	10,00,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

8	Disaster Management	1,00,000	10,000	1,30,000	Fire-fighting system maintenance	50,00,000	2,00,000	60,00,000
Total Construction EMP Cost		1,23,00,000	4,95,000	1,37,85,000	Total Operation Phase	51,00,000	15,75,500	1,39,77,500

- vi. For this project PP has proposed Rs. 10.0 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:

CER BUDGET		
1.	Fund For Van Vihar habitat development	Rs. 5 Lakhs
2.	Development of Chinar park , Bhopal through PWD Department	Rs. 5 Lakh
Total		Rs. 10 lakhs
ALL CER Fund will Be Implemented within the first five years of the project.		

XI. Miscellaneous

- i. Due to main road is existing in the both side of the project area hence, Emergence / accidentail management centre shall be established.
- ii. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- iii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iv. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- v. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- vi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

24. Case No. P2/906/2024. SHRI SANTKUMAR SIRSAM, EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION, Village – Chorai, Pench Colony, Chand Road, Tehsil - Chorai, Distt.- Chindwara (MP) – 480115, Construction, Operation and Maintenance of SHER IRRIGATION COMPLEX PROJECT PKG.-1, Dam with all ancillary works, Piped Irrigation system to supply water through pressurized pipeline system for micro irrigation (Drip/Sprinkler) in District Seoni (M.P) Culturable Command Area of 6,650 Ha, out of Gross Command Area 47,550 Ha., B2 Cat. SIA/MP/RIV/471363/2024.

प्रकरण आज सेक की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

25. Case No. – P2/904/2024. M/s Esbe Constructions Private Limited, Shri Kishore Samdariya (Authorized Signatory), 789, Hotel Samdariya INN, Russal Chowk, Jabalpur, (M.P.).482002. Prior Environment Clearance for Proposed "Lotus Avenue" Residential Cum Commercial Project in an area of 3.585 ha. In front of Civil Line Police Station, Civil Lines, District - Jabalpur (M.P.).Total Plot Area - 35850.00 Sq.mt. Sq.Mt., Total Built up Area – 1,84,834.999 Sq.m. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects ,For-ToR.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed "Lotus Avenue" Residential Cum Commercial Project in an area of 3.585 ha. In front of Civil Line Police Station, Civil Lines, District - Jabalpur (M.P.).Total Plot Area - 35850.00 Sq.mt. Sq.Mt., Total Built up Area – 1,84,834.999 Sq.m. Cat. 8(b) Township and Area Development Projects.

PP submitted following points on parivesh Portal.

SN	Information Required	Details
13.	Project	SIA/MP/INFRA2/471854/2024.
14.	Project Name	Case No. – P2/904/2024. M/s Esbe Constructions Private Limited, Shri Kishore Samdariya (Authorized Signatory), 789, Hotel Samdariya INN, Russal Chowk, Jabalpur, (M.P.).482002. Prior Environment Clearance for Proposed "Lotus Avenue" Residential Cum Commercial Project in an area of 3.585 ha. In front of Civil Line Police Station, Civil Lines, District

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		- Jabalpur (M.P.).Total Plot Area - 35850.00 Sq.mt. Sq.Mt., Total Built up Area – 1,84,834.999 Sq.m. <u>Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects / Rehabilitation Centres.</u> <u>For-ToR. SIA/MP/INFRA2/471854/2024.</u>
15.	Project Proposal For	New.
16.	LOA	Office of Dy. Commissioner, M.P. Housing & Infrastructure Development Board, Jabalpur letter no. 613 dated 23/02/2023.
17.	Description of Project	In front of Civil Line Police Station, Civil Lines, District - Jabalpur & State - Madhya Pradesh.
18.	Project Site Geographical Coordinates	A 23° 9'46.01"N 79°57'32.52"E B 23° 9'51.00"N 79°57'33.60"E C 23° 9'51.30"N 79°57'31.74"E D 23° 9'53.38"N 79°57'32.03"E E 23° 9'53.51"N 79°57'38.81"E F 23° 9'45.40"N 79°57'36.57"E
19.	Proposed ToR	Proposed.
20.	Height of Building	45.00 Mts.
21.	DG set details	1 DG Set of 250 kVA.
22.	RWH pits.	09 No.
23.	Total No. of Car Provided	1067,
24.	Env. Consultant	Mr. Varun Bhardwaj, Rashmi Saraswat M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

The case was presented by Environmental Consultant Ms. Rashmi Saraswat and Mr. Varun Bhardwaj from M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) and PP Shri Kishore Samdariya Authorized Signatory .

After presentation, Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

5. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
6. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
7. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
8. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
9. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
10. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
11. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.
12. Furnish details of CO2 emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
13. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

26. Case No P2/891/24 Shri Ajit Agrawal, Ward No -10 CMPDI Camp Road Bijuri, Jaitpur Shahdol-, Distt. – Anuppur (M.P.) 484440 Prior Environment Clearance for Pathraudi Stone (Gitti) Quarry, Stone (Gitti) - 14,997 Cubic Meter/Year., Lease Area – 1.530 ha, Khasra No. - 888, at Village – Pathraudi, Tehsil- Kotma, District-Anuppur (M.P.) B2 Case. SIA/MP/MIN/470458/2024. (DEIAA to SEIAA).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी अथवा के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक **30/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक श्री अजीत कुमार अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज																																				
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अजीत कुमार अग्रवाल बिजुरी, पोस्ट- बिजुरी, तहसील-कोतमा, जिला- अनुपपुर (म.प्र.)																																				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 888 हे. - 1.530 निजी -हाँ वन - नॉन फॉरेस्ट लैंड																																				
स्थल	ग्राम पथरौड़ी, तहसील कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.)																																				
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनुपपुर के पत्र क्रमांक 1895 दिनांक 13-07-17 के द्वारा स्वीकृत ।																																				
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)																																					
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष-2022-23- 14997 घनमीटर वर्ष-2023-24- 14997 घनमीटर वर्ष-2024-25- 14997 घनमीटर वर्ष-2025-26- 14997 घनमीटर वर्ष-2026-27- 14997 घनमीटर																																				
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	<p style="text-align: center;">माईनिंग प्लान</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>23°16'44.62"N</td> <td>82° 1'30.03"E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23°16'40.92"N</td> <td>82° 1'33.77"E</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>23°16'42.48"N</td> <td>82° 1'35.49"E</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23°16'43.78"N</td> <td>82° 1'35.57"E</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23°16'46.88"N</td> <td>82° 1'32.38"E</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">डीएसआर</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>23°16'44.62"N</td> <td>82° 1'30.03"E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23°16'40.92"N</td> <td>82° 1'33.77"E</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>23°16'42.48"N</td> <td>82° 1'35.49"E</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23°16'43.78"N</td> <td>82° 1'35.57"E</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23°16'46.88"N</td> <td>82° 1'32.38"E</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान होता है ।</p>	B.P. No.	Latitude	Longitude	1	23°16'44.62"N	82° 1'30.03"E	2	23°16'40.92"N	82° 1'33.77"E	3	23°16'42.48"N	82° 1'35.49"E	4	23°16'43.78"N	82° 1'35.57"E	5	23°16'46.88"N	82° 1'32.38"E	B.P. No.	Latitude	Longitude	1	23°16'44.62"N	82° 1'30.03"E	2	23°16'40.92"N	82° 1'33.77"E	3	23°16'42.48"N	82° 1'35.49"E	4	23°16'43.78"N	82° 1'35.57"E	5	23°16'46.88"N	82° 1'32.38"E
B.P. No.	Latitude	Longitude																																			
1	23°16'44.62"N	82° 1'30.03"E																																			
2	23°16'40.92"N	82° 1'33.77"E																																			
3	23°16'42.48"N	82° 1'35.49"E																																			
4	23°16'43.78"N	82° 1'35.57"E																																			
5	23°16'46.88"N	82° 1'32.38"E																																			
B.P. No.	Latitude	Longitude																																			
1	23°16'44.62"N	82° 1'30.03"E																																			
2	23°16'40.92"N	82° 1'33.77"E																																			
3	23°16'42.48"N	82° 1'35.49"E																																			
4	23°16'43.78"N	82° 1'35.57"E																																			
5	23°16'46.88"N	82° 1'32.38"E																																			
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित हैं ।																																				
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया प्रकरण, बी-2																																				
पर्यावरण सलाहकार	स्थल का नाम ग्राम पथरौड़ी, दिनांक 24/05/2024																																				

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया Khanij Bhawan Collectorate Campus, Anuppur के पत्र क्रमांक 2144 दिनांक 11/08/2017 के द्वारा पत्थर— 21,168 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नहीं।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 14,997 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 14,997 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनुपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 28/12/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनुपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 28/12/20 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनुपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 28/12/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पथरौड़ी जिला अनुपपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 20/04/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम पेसा के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 03 यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 03 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 30

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— रोड 132 मी.
	दक्षिण दिशा— आबादी 304 मी.
	पूर्व दिशा— नहीं हैं ।
	पश्चिम दिशा— कच्चा रास्ता 52 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 18 के सरल क्रमांक— 18 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	भू प्रवेश के समय लीज के चारों तरफ तार फेंसिंग की गयी थी किन्तु बीते वर्षों में खनन कार्य न होने की वजह से फेंसिंग से तार चोरी हो गए है सिर्फ बाउंड्री पिलर ही बचे है पर्यावरणीय स्वीकृति मिलते ही फेंसिंग करा दी जायेगी
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में खनन कार्य न होने की वजह से पिट्स में बैचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 600 नये पौधे भी लगाये गये है। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान क्षेत्र में से कोई उत्पादन नहीं किया गया है इस संबंध में खनिज पत्रक की प्रति प्रस्तुत की गई। खदान से उत्तर दिशा में 132 मी. पर पक्का रोड है अतः 68 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा गया है चूकिं अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 68 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते हुये 200 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये एवं लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में सघन वृक्षों के होने के कारण गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 14,997 मी.³
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. उक्त ग्राम पेसा एक्ट में सम्मिलित है तो पेसा एक्ट के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देश सक्षम संस्था/अधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
11. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 12,33,200/- एवं रिकरिंग राशि रू. 3,44,000/- प्रति वर्ष।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

Sr. No.	Particular	Capital Cost in Rupees	Recurring Cost in Rupees
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 4000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,80,000
2	Garland Drain is proposed(823m x 2m x 1.5m) And one Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 823	2,47,500	5000
4.	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1266 x Rs.200	3,05,700	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 50 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (550 X Rs. 50)		
5.	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 100m x 5m) @500/sqm	50,000	10,000
6.	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7.	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8.	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9.	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	15,000
10.	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11.	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12.	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13.	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck	-	5000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

17	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	10,000
18	For reduction of carbon emission – LED bulb distribution	30,000	Nil
Total		12,33,200	3,44,000

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय पथरौडी में प्रयोगशाला विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1866 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1266
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	50
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आंवला, अमरुद । इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	550

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No P2/894/24 Shri NAWAB KHAN, Lease Owner, Bus Stand, Amraiypar, Kymore, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.930 ha. (27,000 cum per annum) (Khasra No. 1223, 1228/2, 227) Village - Paraswara, Tehsil-Vijayraghgarh, District-Katni (M.P.). SIA/MP/MIN/470985/2024 DEIAA NEW (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

28. Case No P2/886/24 MOHD KHAN, Owner, Ward no. 03, gondia road village - kosmi Balaghat, Balaghat , Madhya Pradesh – 481001 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.62 ha. (8550 cum per annum) (Khasra No. 516) Village- Akola, Tehsil- Kiranpur, District-Balaghat (M.P.). SIA/MP/MIN/466263/2024 DEIAA-Re-appraisal (TOR) SIA/MP/MIN/466263/2024 DEIAA-Re-appraisal

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

29. Case No P2/881/24 Smt.JABEEN MALIK, Owner, Ward no.-1, Railway Station road, Bamhni Banjar, Mandla, Madhya Pradesh – 481771. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (3702 cum per annum) (Khasra No. 120) Village KAJARWARA Tehsil Nainpur District Mandla (M.P.). (SIA/MP/MIN/468903/2024 (DEIAA- Re-appraisal B-2

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती जबीन मलिक, पत्नि श्री अब्दुल

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

समद मलिक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Jabeen Malik, W/o Shri Abdul Samad Malik R/o village- Bamhani Banjar, Tehsil- Mandla, District- Mandla (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	120 (निजी – भूमि)	1.00 hectare.	
स्थल	Village- Kajarwara, Tehsil- Nainpur, District- Mandla, (M.P)		
लीज स्वीकृति	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 543 दिनांक 11/01/2021 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 10/06/2021, क्षमता– पत्थर – 3,704 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी– 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम–कजरवाडा, दिनांक– 06/01/2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 895 दिनांक 09/07/2018 के द्वारा पत्थर – 3704 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर– 3,704 घनमीटर /वर्ष है ।		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 19/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 19/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 19/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता कच्चा रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कजरवाडा जिला मण्डला ठहराव प्रस्ताव क्र. 10 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में कोई वृक्ष स्थित नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- डैम लगभग 433 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा- कच्चा रोड लगभग 51 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा- कच्चा रोड लगभग 43 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	08/05/2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 60% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 50 पेड़ नए लगाए गए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	नहीं पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 400 पेड़ पूर्व से लगे हैं एवं 500 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान—3,704 घनमीटर / वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.14. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.28 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	25,740	-
1(b)	Water requirement- 0.572 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (160 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 150/plant.	300 plants × 150 Rs=45,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	750 plants × 50 Rs=37,500/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.250/plant	150 plants × 250 Rs=37,500/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 414 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (409m) @200 rupees/meter.	81,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10 × 500 × 2)	-	10,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10	15,000	2,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	workers - 10 × 1500)		
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	TOTAL	8,14,725 /-	1,28,000/-

CER Table

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **0.60** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **1200** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

योग	1200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है

30. Case No P2/888/24 Shri Raghvendra Singh Kiledar, Director, RAJENDRA SINGH KILEDAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, Bazar Chowk Betul, Bhaisdehi, Betul (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (Stone 22735 cum per annum & Murrum-4500 cum per annum) (Khasra No. 77/3, 77/11, 77/16, 77/17, 77/18) Village PIPARIA Tehsil Bhainsdehi District Betul (M.P.). SIA/MP/MIN/470481/2024 DEIAA- Re-appraisal TOR

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

31. Case No P2/879/24 Shri FARHAN ALLI, Post Bhatkhedi, Mhow, Near Masjid, Indore, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. (14550cum per annum) (Khasra No. 162) Village- Kalyansikhedi Tehsil- Pithampur District Dhar (M.P.). TOR SIA/MP/MIN/454994/2023

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

32. Case No.- 903/2024. Shri Alpeshbhai Patel M/s Vini Industries, Plot Number 125, AKVN Industrial Area, Meghnagar. Dist. Jhabua (M.P.) 457779, Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of existing synthetic organic chemicals unit, M/s Vini Industries at Plot No 125 AKVN Industrial Estate- Meghnagar, District - Jhabua (MP). Product & Capacity – 28,400 TPA. Land Area- 0.4446 Ha., Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/472344/2024.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of existing synthetic organic chemicals unit, M/s Vini Industries at Plot No 125 AKVN Industrial Estate- Meghnagar, District - Jhabua (MP). Product & Capacity – 28,400 TPA. Land Area- 0.4446 Ha., Cat 5 (f) .

PP submitted following details on Parivesh portal.

1.	Proposal /Activity Name/	Case No.- 903/2024. Shri Alpeshbhai Patel M/s Vini Industries, Plot Number 125, AKVN Industrial Area, Meghnagar. Dist. Jhabua (M.P.) 457779, Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of existing synthetic organic chemicals unit, M/s Vini Industries at Plot No 125 AKVN Industrial Estate- Meghnagar, District - Jhabua (MP). Product & Capacity – 28,400 TPA. Land Area- 0.4446 Ha., Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/472344/2024.																							
2.	Location of Project																								
3.	Project Proposal For	Expansion. (Fresh ToR).																							
4.	Previous EC Status	MPSEIAA Case No. - 4356/2015, Date of environmental clearance issued by MPSEIAA vide letter no. 63//SEIAA/2018 dated 07/04/2018,																							
5.	Description of Project	This is a expansion project of existing industry at Industrial Area Meghnagar, Distt.- Jhabua(M.P.).																							
6.	Status of Implementation of Project or Activity.	Project is operational- for complete components/units envisaged in the EC																							
7.	Project Cost (Lakhs)	Existing Project - 650 Proposed Project - 800 Total - 1450 Lakh.																							
8.	ToR Status	Proposed.																							
9.	Products & Production details	Details of Products & By-products <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Name of Product</th> <th rowspan="2">Product / By Product</th> <th colspan="3">Quantity / Capac</th> </tr> <tr> <th>Existing</th> <th>Proposed</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vinyl sulphone</td> <td>Product</td> <td>1200</td> <td>6000</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>Acetanilide</td> <td>Product</td> <td>600</td> <td>8000</td> <td>8600</td> </tr> <tr> <td>2:3 Dichloro 1:4 Naphthoquinone</td> <td>Product</td> <td>0</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Product	Product / By Product	Quantity / Capac			Existing	Proposed	Total	Vinyl sulphone	Product	1200	6000	7200	Acetanilide	Product	600	8000	8600	2:3 Dichloro 1:4 Naphthoquinone	Product	0	600	600
Name of Product	Product / By Product	Quantity / Capac																							
		Existing	Proposed	Total																					
Vinyl sulphone	Product	1200	6000	7200																					
Acetanilide	Product	600	8000	8600																					
2:3 Dichloro 1:4 Naphthoquinone	Product	0	600	600																					

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

		2:6 Dichloro para nitroaniline	Product	0	600	600	MT/Year
		Pera amino sulphalinamide	Product	0	240	240	MT/Year
		Pentosha	Product	0	1200	1200	MT/Year
		DNSDA	Product	0	1800	1800	MT/Year
		MgSO4	Product	0	7200	7200	MT/Year
		PTF Chloride	Product	0	300	300	MT/Year
		OTF Chloride	Product	0	300	300	MT/year
		R-3- carbamoylmethyl-5-methyl hexanoic acid	Product	0	180	180	MT/Year
		4-Sulfonamido Phenyl Hydrazine HCl (4-SPH)	Product	0	180	180	MT/year
		Acetic acid	By-Product	265	1325	1590	MT/Year
		Dilute sulphuric acid	By-Product	4680	23400	28080	MT/year
		HCl	By-Product	360	1800	2160	MT/Year
		Glauber salt	By-Product	960	4800	5760	MT/year
10.	Production Qty.	As per Parivesh Portal uploaded information.					
Documentary Details							
11.	D.G. Set details	125 KVA.					
12.	Water NoC	EE. MPAKVN, (Water Supply)/2015-16, Indore letter no. 13653 Dated 10/11/2015.					
13.	Nearest operational TSDF details	Pithampur.					
14.	Membership in TSDF	Yes.					
15.	Land Documents	NO. AKVNIINDI 1 5 dated 07/07/2015. copy submit.					
16.	PFR	Submitted by PP.					
17.	Certified Compliance	18-B-55-2022(SEAC) M/s Vini Ind._MNR (1) Online Submitted by PP.					
18.	Env. Con.	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.).					
19.	Consent obtained from SPCB / UTPCC	AW-56248, Date of latest consent issued date 04/07/2022. Validity of latest consent (Valid up to) 31/05/2027.					

The case was presented by PP's Environmental Consultant Shri Pradeep Chandan, online & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.). During presentation, PP submitted that earlier for this case EC was issued vide no. 63 dated 07.04.2018.

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1. Being expansion, certified compliance report of previous EC conditions/consent conditions from the competent authority shall be submitted.
2. PP should provide entire product mix in the EIA report.
3. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
4. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
5. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
6. The assessment of ecological services and ecological loss shall be carried out and report be submitted with EIA report.
7. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
8. **Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.**
9. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
10. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
11. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
12. VOC should be monitored in the AAQ.
13. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
14. Inventory of existing trees.
15. Detailed plant layout on A3 size map.
16. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
17. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
18. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

19. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
20. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.
21. Study of existing Ground Water quality shall be conducted.
22. Submit chemical balance, Effluent discharge, proposal for ZLD and worst case scenario.etc. in the EIA report
23. Submit in the EIA report other similar industries existing within 500 meters

33. Case No P2/893/24 Shri RAJENDRA THAKUR, Lessee, S/o Daulat Singh Thakur Araniya Ram Sehore District Sehore (M.P.).466116. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 44.00 ha. (4018 cum per annum) (Khasra No. 248/3/1 K) Village- Kankariya Khedi, Tehsil-Ashta, District- Sehore (M.P.). SIA/MP/MIN/470776/2024 DEIAA- Re-appraisal (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर (ऑनलाइन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाइन, मेसर्स ए.जी.एस. इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajendra Singh Thakur S/o Shri Daulat Singh Thakur, Address- R/o Village - Araniyaram, Tehsil – Ashta, District – Sehore (MP)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	248/3/1 क (शासकीय भूमि)	4.00 hectare.	
स्थल	Village- Kankariyakhedi, Tehsil-Ashta, District-Sehore (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 10020-21 दिनांक 22/07/2021 के द्वारा नवीनीकरण ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष— 06/07/2021, क्षमता— 4018 घ.मी. /वर्ष, उत्पादित मात्रा—4018 घ.मी./वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति			
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन स्कीम अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया, बी-2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – श्री मोहित मालवीय स्थल का नाम– कांकरियाखेड़ी दिनांक– 14/05/2024		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 4018 घ.मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना/स्कीम अनुसार 4018 घ.मी./वर्ष है।		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सीहोर के पत्र क्रमांक 1476 दिनांक 23/05/16 के द्वारा पत्थर–19,295 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6451 दिनांक 30/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, कुल रकबा 4.00 है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र 6451 दिनांक 30/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। 250 मीटर में वन क्षेत्र सीमा स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र 6451 दिनांक 30/11/23 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं तालाब, अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत कांकरियाखेड़ी जिला सीहोर के प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 15/08/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।		
केशर की स्थिति	केशर लीज के अंदर है		
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज क्षेत्र में पेड़ नहीं है। ● परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के बाहर स्थापित साइट 		

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

स्थिति	ऑफिस के आसपास लगभग 150 पेड़ रोपे गए हैं जिसके साक्ष्य प्रस्तुत किये गए ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 25 मी.</p> <p>पश्चिम दिशा – पक्का रोड एवं मानव बसाहट लगभग 80 मी.</p> <p>प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे की उत्तर दिशा में 25 मीटर की दूरी पर कच्ची सड़क एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क तथा मानव बसाहट परिलक्षित हो रही है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के उत्तर की ओर कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी 50 मीटर (लीज एरिया बाउंड्री से 25 मीटर) सेटबैक छोड़कर गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है एवं पश्चिम की ओर पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर का सेटबैक छोड़कर गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है अतः खनन हेतु 1.80 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध होता है।</p> <p>परियोजना प्रस्ताव द्वारा अवगत कराया कि पूर्व दिशा की ओर बैरियर जोन में जो पिट परिलक्षित हो रही है वह खनिज विभाग पत्र क्रमांक 1183 दिनांक 14/10/2010 द्वारा पूर्व में स्वीकृत पट्टाधारी द्वारा किया गया है जिसकी स्थिति लीज ट्रांसफर होने के दिनांक से पूर्व परिलक्षित हो रही है।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि उत्खनिपट्टे की उत्तर दिशा में 25 मीटर की दूरी पर कच्ची सड़क एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क तथा मानव बसाहट परिलक्षित हो रही है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के उत्तर की ओर कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी 50 मीटर (लीज एरिया बाउंड्री से 25 मीटर) सेटबैक छोड़कर गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है एवं पश्चिम की ओर पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर का सेटबैक छोड़कर गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है अतः खनन हेतु 1.80 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट खदान 50,085 टन/वर्ष

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S N O	Particulars	Budget Provisions (Rs.)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
I	Ino. of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline. Hiring of water tanker (4,000L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 150/day (PP owned tanker) for 300 days	50,000 45,000	10000
II	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 300m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	10,000
III	Contribution in development & maintenance of W.B.M road (Road length approx 180 m, Width 5.5m - (excluding shoulders) (approx @ ~Rs 500/meter.) including the provision of rumble strips)	90,000	20,000
IV	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr,	NIL	40,000
VI	Plantation (Total 4800 Plants will be planted/Distributed)		
	1. Within Lease Area (In Barrier Zone) 800@150rs./tree 1st year –covering the whole periphery of Mine lease boundary (400 nos)	1,20,000	10,000
	2. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 400 nos on evacuation route up to 180 m both side (@ Rs 500/tree including the Cost of tree guard) 2nd year – 3600 nos will be distributed the nearby villagers (@Rs 50/tree)	1,50,000 2,00,000 1,80,000	30,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	3. Sowing of the Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew americana, along the bund of excavated garland drain & settling tank.	8,000	3,000
--	--	-------	-------

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
VII	Wire fence (~400 m long) (@Rs 200/m)	80,000	20,000
	Induction Motor (3 phase motor of 5 HP) with accessories for dewatering the pit.	35,000	5,000
VIII	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
IX	Repairing of rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	20,000	8,000
X	Repairing of existing & Construction of new Toilets 2 no. (Male & Female) 12500 x 2	25,000	5,000
XII	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 1 worker only - (10x Rs 2000+Rs 2,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	22000	10,000
Emergency Rescue Plan			
XIII	Fire Fighting Equipments (1nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	3,000
XIV	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	7,000	2,000
Solid Waste Management			
XV	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each	3,000	3,000
	b) Pit and Composting	4,000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
XVI	Expenditure for A. Distribution of LED bulb in Kankariya khedi village for sequestration of Carbon.	20,000 80,000	
	B. Installation of Solar light in Govt. school of Kankariyakhedi		
XVII	Expenditure for Restoration of Barrier Zone.	80,000	-
XVIII	Crusher Pollution equipment	15,000	
	Total	13,81,000	1,80,500

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 4018 घनमीटर/वर्ष
- 2- In case of change in ultimate pit block (surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP Should obtain Modified Mining Plan/Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual plan should be accordingly revised in the approved mining Plan/SOM by the competent authority with respect to year-wise production".
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.805 लाख।
4. पिट्स में बेंचेस बैरियर जोन कि स्थिति को री स्टोर किया जावे।
5. माइन रीस्टोरेशन कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता कि पुष्टि कि जावे तथा सभी शर्तों का पालन ना होने कि स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त विभागीय स्तर से किया जावे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम कांकरियाखेड़ी के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	1,50,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र में	पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, नीम आदि।	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, नीम आदि।	500
3	ग्राम आम्बाचंदन में ग्राम वासियों को फलदार पौधे वितर. हेतु	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	3600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34. Case No P2/880/24 Shri PRATHVIRAJ PANWAR, Owner, Village Buranabad, Tehsil Khachrod, District Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.65 ha. (M-Sand & Stone(Gitti)-15900 cum per annum) (Khasra No. 583) Village Buranabad, Tehsil- Khachrod, District Ujjain (M.P.). SIA/MP/MIN/457812/2024 (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

35. Case No. – P2/902/2024 Shri Jinaraja Poojary, Vice President M/s. M/s Encube Ethicals Private Limited, Plot Number 113, Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur, Distt. - Dhar (M.P.)- 454775. Prior Environment Clearance for at Plot Number 113, Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur Distt. - Dhar (M.P.) for manufacturing of Framycetin Sulfate (API) : 24 TPA, Total Plot Area - 1.4 Ha., Cat.-5(f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/ 472609/2024. TOR.

The case was presented by PP Shri Jinaraja Poojary, Vice President M/s. M/s Encube Ethicals Private Limited, and their environmental consultant Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.).

PP submitted that following information points on Parivesh portal.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

S N	Projects Details				
1.	Proposal /Activity Name Location of Project	Case No. – P2/902/2024 Shri Jinaraja Poojary, Vice President M/s. M/s Encube Ethicals Private Limited, Plot Number 113,Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur, Distt. - Dhar (M.P.)- 454775. Prior Environment Clearance for at Plot Number 113,Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur Distt. - Dhar (M.P.) for manufacturing of Framycetin Sulfate (API) : 24 TPA, Total Plot Area - 1.4 Ha., Cat. - 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/472609/2024.			
2.	Description of Project	M/s Encube Ethicals Private Limited Proposed its Greenfield API Project at Plot No - 113, Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur Dist. – Dhar (M.P.) for which prior environment clearance has to be taken.			
3.	Type of Project Type of Project	Green field.			
4.	Total Plot Area	Total Plot Area- 14900 M ² (Plot area - 0.93 Ha.), Green Belt- 0.56 Ha. Total Plot Area- 1.49 Ha.,			
5.	Project Cost	6500 Lakhs.			
6.	ToR Status	Proposed ToR Submitted by PP.			
7.	Activity Location	Plot Number 113, Smart Industrial Park Near NATRIP, Pithampur Distt. - Dhar (M.P.).			
8.	Production Capacity	As per information upload Parivesh Portal.			
		SN	Name of Product	Qty. / Capacity Unit TPA	Remark
		1.	Framycetin Sulfate	24	API
9.	Land Registry details	81787.53 sqmt. Land Registry Sub Registrar office - Dhar, dated 27/03/2024.			
10.	No Construction Status	No Construction start at site PP Affidavit submitted dated 04/05/2024.			
11.	No Litigation Pending	No Litigation Pending at PP Affidavit submitted dated 04/05/2024.			
Documentary Details					
12.	PFR	Submitted by PP.			
13.	D.G. Set details	2x750 KVA each.			
14.	Details of ZLD	ETP followed by RO and MEE.			
15.	Membership in CETP	will be obtained after EC.			
16.	PP Apply Inter State Boundary distance letter	PP Apply Collector Office Dhar vide letter dated 10 th May 2024.(Online Copy enclosed).			
17.	Request Letter to DFO.	PP Apply DFO, Office Dhar vide letter dated 10 th May 2024.(Online Copy enclosed).			
18.	Water Supply and CTEP permission	MPIDC, Regional office, Indore 5936 Date 17/07/2023. will supply the water as per your requirement of 200000 Litter/ Day.(Online Copy enclosed)..			

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

19.	Env. Con.	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.)
-----	-----------	---

The case was presented by PP's Environmental Consultant Shri Pradeep Chandan, online & Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore (M.P.).

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
3. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
4. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
5. The assessment of ecological services and ecological loss shall be carried out and report be submitted with EIA report.
6. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
7. **Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.**
8. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
9. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
10. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
11. VOC should be monitored in the AAQ.
12. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
13. Inventory of existing trees.
14. Detailed plant layout on A3 size map.
15. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

16. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
17. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.
18. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
19. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.
20. Study of existing Ground Water quality shall be conducted.

36. Case No. P2/415/24 SHASHI SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.-44927, in Village - GHATPIPARIYA , Tehsil - Narsinghpur, District - Narsinghpur (MP), Maximum Production - 113400 cum per annum [Apln.NO.476756]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशि भूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 1/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल - 7.00 हे.
स्थल	ग्राम -घाटपिपरिया, तहसील -नरसिंहपुर, जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक	

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

	31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घाटपिपरिया रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा घाटपिपरिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,13,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,13,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 10.063 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.063 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 24/11/2022 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-22 के सरल क्रमांक-32 एवं पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 7.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,13,400 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,13,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

2. खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैनुअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
7. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
8. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
9. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.17 लाख प्रति वर्ष।

EMP TABLE

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000
1(b)	Water requirement- 3.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc	2,10,000	42,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	(700m in length × 5m in width)		
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2000X150= ₹3,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹1,00,000)	6,20,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4400X50 = ₹2,20,000)	1,00,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (53 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	53,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		30,000
	Pollution Monitoring		30,000
	i) Air pollution		20,000
	ii) Water pollution		20,000
	iii) Soil Pollution		
	iv) Noise Pollution		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 28	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 28 Labors -28×	-	28,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	500 × 2)			
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 28 workers - 28 × 1500)	42,000	6,000	
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000	
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000		
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Installed in Solar panel in the school of village Ghat Pipariya.	2,00,000	40,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total		13,48,000/-	5,17,000/-	

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी ई.आर. मद से 2,30,000 की राशि पालक शि शक्षक संघ समिति ग्राम मेहरागांव के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवे 1 के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	2,30,000
कुल	2,30,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4400 वृक्षों का वितरण :-

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4400
कुल			6600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No. P2/151/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 1540/1 in Village - PADWAAR-2, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 20000 cum per annum [MIN/460373/2024]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1540/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम- पड़वार, तहसील- गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 20,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 20,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या- 01 कुल क्षेत्रफल - 6.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1801 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1801 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- पड़वार, ग्रामसभा- पड़वार, जिला- छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते हैं

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 0.6 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 20,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodial Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.14 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	74520
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	125000	15000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	10500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	28000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
C. Carbon Sequestration			

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

10	Installation of Solar Panels	25000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	4000	-
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		238500	214270

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.77 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम पडवार के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 77,000.00 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	77,000.00
कुल	77,000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम **2000** वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	600

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

2	पड़वार ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1400
कुल			2000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन / खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

38. Case No. P2/158/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 613/1 in Village - PAREI-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [MIN/452828/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	613/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम- परेई, तहसील- गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 60,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 60,000 घनमी./वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या- 03 कुल क्षेत्रफल - 18.990 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1819 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1819 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- परेई, ग्रामसभा- परेई, जिला- छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के कुछ भाग में जल भराव है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23.05.2024, को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। परन्तु लीज क्षेत्र के कुछ भाग में जल भराव है, जो लगभग 2.5 हे. है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 2.5 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 60,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशांसा की जा सकती है ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनन योजना में गहराई 2.5 बताई गई है तथा डी.एस.आर. में गहराई 3 मीटर बताई गई है इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी सैंड माईनिंग गाईडलाइन्स के प्रावधान अनुसार उत्खनन की गहराई माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodial Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.48 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	104220
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	145000	19500

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	20000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	25000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
C. Carbon Sequestration			
10	Installation of Solar Panels	50000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	12000	-
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	8000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		283500	248470

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम पारेई के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 1,12,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	1,12,000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम **6000** वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	---------------------------	---------------------	------------------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2	पारेई ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000
कुल			6000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39. Case No. P2/149/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 14.00 Hectare, Khasra No.- 697/1 in Village - NEHRA , Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 100000 cum per annum [MIN/460383/2024]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	697/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	14.00 हे.
स्थल	ग्राम- नेहरा, तहसील- गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1,00,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत -1,00,000घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या- 01 कुल क्षेत्रफल - 14.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/2175 दिनांक 16/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/2175 दिनांक 16/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- कन्डेला, ग्रामसभा- कन्डेला, जिला- छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-21 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23.05.2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते हैं	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 14.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,00,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनन योजना में गहराई 1.25 बताई गई है तथा डी.एस.आर. में गहराई 3 मीटर बताई गई है इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी सैंड माईनिंग गाईडलाईन्स के प्रावधान अनुसार उत्खनन की गहराई माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodial Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 11.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.57 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
--------	-------------	--------------	----------------

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	176220
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	885000	97500
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	75000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	16000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	25000	2500
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
10	VT Training for Labours	Nil	10500
C. Carbon Sequestration			
11	Installation of Solar Panels	85000	-
12	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	15000	-
D. Emergency Rescue Plan			
13	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
14	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
E. Solid Waste Management			
15	Bins 2 nos	3000	-
Total		1144000	457720

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.28 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम नेहरा के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 48,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	48,000.00
ग्राम नेहरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 80,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	80,000.00
कुल	1,28,000.00

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम **10000** वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3000
2	नेहरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	7000
कुल			10000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. P2/166/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 11.50 Hectare, Khasra No.- 854 in Village - BAGHARI-1, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 75000 cum per annum [MIN/452408/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	854 (सरकारी-गैर वन भूमि)	11.50 हे.
स्थल	ग्राम- बघारी, तहसील- चंदला, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 75,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 75,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या-2 कुल क्षेत्रफल - 23.800 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1812 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1812 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- हरई, ग्रामसभा- बघारी, जिला- छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 01/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-13 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 24.05.2024, को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. रेत खदान के कारण ग्रामीण रस्ता क्षतिग्रस्त होता है। 2. रस्ते में धूल उड़ती है। ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो। CSR का फंड	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

	<p>ग्राम पंचायत के विकास के लिए खर्च हो।</p> <p>3. गाँव के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। धूल के उपाय हेतु पानी का छिड़काव हो।</p> <p>4. रेत खदान से मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 11.5 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.15 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 75,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. खनन योजना में गहराई 1.15 बताई गई है तथा डी.एस.आर. में गहराई 3 मीटर बताई गई है इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी सैंड माईनिंग गाईडलाईन्स के प्रावधान अनुसार उत्खनन की गहराई माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Crocodial Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.29 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	147020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	440000	50000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	40000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	74000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	9000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	10000	2000
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
10	VT Training for Labours	Nil	10500
C. Carbon Sequestration			
11	Installation of Solar Panels	70000	-
12	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	15000	-
D. Emergency Rescue Plan			
13	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	2000
14	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
E. Solid Waste Management			
15	Bins 2 nos	3000	-
Total		672000	329520

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.19 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम बघारी में वर्षा जल संचयन में सहयोग हेतु 49,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	49,000.00

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

ग्राम बघारी के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 70,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	70,000.00
कुल	119000.00

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 7500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर नदी) (पंक्तियों में 6 से 1 तट से	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4 करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	बघारी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5000
कुल			7500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं मृत पौधों का /रखाव-वर्ष तक उन पौधों का रख 05 प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41. Case No. P2/161/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 2.80 Hectare, Khasra No.- 257 in Village - SURA, Tehsil - Rajnagar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 5000 cum per annum [MIN/452298/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो उर्मिल नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	257 (सरकारी-गैर वन भूमि)	2.800 हे.
स्थल	ग्राम - सुरा, तहसील- राजनगर, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 5000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 5000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या- 02 कुल क्षेत्रफल - 7.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1823 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1823 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- उमरया, ग्रामसभा- सुरा, जिला- छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 20/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-15 के सरल क्रमांक- 32 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 24.05.2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र से डाउन स्ट्रीम में 1.3 कि.मी पर ब्रिज है एवं 0.95 मी. पर स्टाप डेम है। आसपास कोई अन्य संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 2.8 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.97 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	70020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	85000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	7500	750
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	28000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	10500
9	VT Training for Labours	Nil	4200
C. Carbon Sequestration			
10	Installation of Solar Panels	16000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	1000	-
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		183500	197970

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम सुरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50000.00

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
2	सुरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
कुल			1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन/खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

Case No. P2/820/24 Ms. INDU AHLUWALIA, proprietor, 267K, Ward No. 9, Sindhi Camp, Bandhavgarh Colony. Raghurajnagar, Satna (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 23.86 ha. Limestone&60,0000 TPA & OB as mine waste-1,78,864 TPA) (Khasra No. 683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/1/2/k, 740/2, 961/1) Village- Bhatia Tehsil - Maihar District - Satna (M.P.). [MIN/468346/2024] (TOR)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 757वीं बैठक दिनांक 24/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे Khasra No. 683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/1/2/k, 740/2, 961/1 उल्लेखित हो गया था के स्थान पर Khasra No. 683, 687 /1, 687 /2,710/7/1, 710 / 1 / 2, 710 / 2, 717 / 1, 777 / 2, 718 / 1, 718 / 2, 779, 724 / 7, 724 f 2, 725, 726, 727, 729, 729 / 1, 729 f 2, 730, 737, 732, 733, 734 735, rc7 n, 737 f 2, 738, 7 40 / 1 / 1, 740 / 1 / 2, 740 / 2/ 2, 740 / 2/ 3, 740 / 2/ K, 961, /1, 961. / 2, 962/1, 962/2, 963/1, 963/2,964/1.,964/2 के साथ ही निम्नानुसार टॉर अनुशंसा पढ़ी जावे :-

The case was presented by the PP for issuing of TOR to carryout EIA studies with site specific details. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. Ambient Air Quality Monitoring Stations should be located in all the villages which are within 01 kms radius of the project site and incremental GLC should be predicted in all such villages.
2. Concerned Regional Officer, MP Pollution Control Board must be informed about the monitoring locations and monitoring should be carried out under intimation to him.
3. In EIA study the mode of transportation, storage of all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
4. Protection Plan for surface run off should be discussed in EIA report.
5. Detailed evacuation plan with transport route, required infrastructure and manpower is to be discussed in the EIA report.
6. If on the evacuation route there are human settlements justify how they will be protected or suggest alternate evacuation route.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

7. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
8. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
9. Mine water discharge plan with details of garland drains and settling tanks should be detailed out on a map in the EIA report.
10. Year wise details of minerals already excavated till date should be submitted with EIA report.
11. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed.
12. Top soil management plan should be addressed in EIA report.
13. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
14. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
15. Inventory of all existing trees and if any tree is to be uprooted, then it should be clearly addressed in EIA.
16. Ground water table data should be compared with data of Central Ground Water Board authorities nearest sampling point.
17. Water quality of all the villages within 10 k.m radius should be studied and result should be incorporated in final EIA report.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव



(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with at least 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

- n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मलिनंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फीट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फीट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -
In addition to Standard TOR

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

A- In government land

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

B. In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant (standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

4. For blasting or for non blasting: if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
 - I. OWN
 - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 - III. Cost benefit ratio
 - IV. If grass land : grass land development & maintenance
 - V. Catchment of the major river & its protection plan.

5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) If crusher is outside of mines

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. SITE VISIT REQUIREMENTS :

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report)

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³ /yr without crusher
2. murum- 20,000 m³/yr
3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less then 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा एवं खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेगें।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

Standard ToR for Building Construction Project

For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature _____
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor _____

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

Regarding shops

- I. Floating population
- II. Utility facilities
- III. Parking etc

- CER - As per Public Hearing
Physical/Costing

- Year of plantation to be completed.
- CER works completion time
- Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
- If any violation.
- If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
- No. of D.G. set & its Power
- No. lifts/floor wise
- In campus if any commercial shops
 - Then parking
 - Utility places
- Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
- Periphery length & plantation – No. of Rows
Width of plantation.